UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shatakatraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

"इस देश की जनता को अपने लोक सेवकों के हर सार्वजनिक कार्य को — सार्वजनिक रूप से किए गए हर काम को — जानने का अधिकार है। हर सार्वजनिक लेन-देन का पूरा ब्योरा, उसके हर पहलू के साथ, जानना उसका हक़ है।"

— न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975)

द हिंदू (मुंबई), द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली) और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली) — 12 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हज़ार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)
UPSC Darpan · 12 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

1. **सेवा परमो धर्मः — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
2. **The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
3. **Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
4. **Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
5. **Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
6. **Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
7. **Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

> *We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्मः — and we shall become.*

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

> *""यह सोचना सरासर विचारों का भ्रम है कि ईंधन के किफ़ायती उपयोग का अर्थ खपत में कमी है। सच्चाई ठीक इसके उलट है।""*

— **डब्ल्यू. स्टैनली जेवन्स** · *द कोल क्वेश्चन (1865), अध्याय VII, "ईंधन की किफ़ायत के विषय में"*

उपयोग करें (Use in): आज की राष्ट्रीय इस्पात नीति का मसौदा, जो 2047 तक क्षेत्र की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 2.54 से घटाकर लगभग 1.54 टन CO2 प्रति टन कच्चा इस्पात करना चाहता है, जबकि क्षमता लगभग 220 मि.ट. से बढ़ाकर 604 मि.ट. करना चाहता है — कार्ड के गणित पर आज के क्षमता-उपयोग पर कुल उत्सर्जन फिर भी लगभग दो-तिहाई बढ़ेगा। इसका प्रयोग ऊर्जा दक्षता, तीव्रता बनाम निरपेक्ष लक्ष्य और प्रतिक्षेप प्रभाव (रिबाउंड इफ़ेक्ट) पर GS3 के उत्तरों में, तथा विकास और पर्यावरण पर निबंधों में करें। संतुलन के लिए: भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है और उसका नेट-ज़ीरो वर्ष 2070 है, इसलिए विकासशील देश के लिए दक्षता अनिवार्य है; जेवन्स का तर्क यह है कि दक्षता के साथ सीमाएँ या मूल्य जुड़ने चाहिए, यह नहीं कि दक्षता बेकार है।

> *"सूचनात्मक निजता, निजता के अधिकार का एक पहलू है। सूचना के युग में निजता को ख़तरे केवल राज्य से ही नहीं, ग़ैर-राज्य पक्षों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। हम केंद्र सरकार को सुझाव देते हैं कि वह डेटा संरक्षण की एक सुदृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता की जाँच करे और उसे लागू करे।"*

— **भारत का उच्चतम न्यायालय (न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, स्वयं, मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर, न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर की ओर से)** · *न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017), निष्कर्ष*

उपयोग करें (Use in): केरल उच्च न्यायालय का आज का आदेश, जिसमें हवाई अड्डों पर यात्रियों के चेहरे के डेटा (डिजी यात्रा) से जुड़ी जनहित याचिका में केंद्र सरकार को DPDP अधिनियम, 2023 के अंतर्गत डेटा संरक्षण बोर्ड को आठ सप्ताह में कार्यशील बनाने का निर्देश दिया गया है। इसका प्रयोग अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता, DPDP अधिनियम और कार्यपालिका को निर्देश देने वाले न्यायालयों पर GS2 के उत्तरों में करें: न्यायालय ने 2017 में डेटा संरक्षण व्यवस्था माँगी थी, संसद ने 2023 में उसे बनाया, और उसे लागू करने वाला बोर्ड अब भी काम नहीं कर रहा। संतुलन के लिए: इसी निर्णय में कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति के हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कल्याण-लाभों के रिसाव की रोकथाम जैसे राज्य के वैध उद्देश्यों के बीच संतुलन होना चाहिए, और DPDP नियम, 2025 18 माह के चरणबद्ध क्रियान्वयन की अनुमति देते हैं।

> *"जलमार्ग वाले राज्य अपने-अपने क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का उपयोग न्यायसंगत और उचित ढंग से करेंगे।"*

— **अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग के विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय** · *अनुच्छेद 5(1) (संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 मई 1997 को स्वीकृत; 17 अगस्त 2014 से प्रभावी)*

उपयोग करें (Use in): बांग्लादेश के निवर्तमान उच्चायुक्त का आज का साक्षात्कार, जो "तकनीकी-राजनीतिक" दृष्टिकोण चाहते हैं, क्योंकि 1996 की गंगा जल संधि — जो तीस वर्षों के लिए फ़रक्का के प्रवाह को दस-दिवसीय अवधियों में बाँटती है — दिसंबर में नवीनीकरण के लिए आ रही है। इसका प्रयोग भारत–बांग्लादेश संबंध और जल-कूटनीति पर GS2 के उत्तरों में करें: "न्यायसंगत और उचित" उपयोग, तथा अनुच्छेद 7 के अनुसार महत्त्वपूर्ण हानि न पहुँचाने का दायित्व, सीमापार जल-विधि की शब्दावली है। संतुलन के लिए: भारत इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है, और वह गंगा पर ऊपरी तटीय देश है पर ब्रह्मपुत्र पर निचला तटीय, इसलिए जिन सिद्धांतों की वह चीन के सामने वकालत करता है, वही ढाका उससे माँगेगा।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड · पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 1 मिनट।

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी ख़बरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1 केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा: डेटा संरक्षण बोर्ड को आठ सप्ताह में कार्यशील करें
1.2 21 वर्ष का RTI: केवल 62.7% सार्वजनिक प्राधिकरणों ने CIC को पारदर्शिता लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपी
1.3 131वें संशोधन के अटकने के बाद 543 सीटों के भीतर परिसीमन एक विकल्प के रूप में उभरा

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

2.1 मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति का लक्ष्य: 2047 तक 604 मिलियन टन क्षमता और स्वच्छ इस्पात
2.2 वाणिज्य विभाग ने चीन में भारतीय सेवा निर्यातकों की बाधाओं का ख़ाका बनाया: डेटा, लाइसेंस, वीज़ा

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

3.1 दलहन मिशन का एक वर्ष: किसानों को धान छोड़ने की क़ीमत दीजिए, और सौर ऊर्जा भी उगाइए

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

4.1 दिसंबर में गंगा जल संधि के नवीनीकरण का समय, ढाका ने माँगा 'तकनीकी-राजनीतिक' समझौता
4.2 पाकिस्तान ने ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में आपातकाल लगाकर PTI के नेतृत्व वाली सरकार को निलंबित किया

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

5.1 काज़ीरंगा से लाए गए आठ जंगली भैंसे कान्हा में छोड़े गए, मध्य प्रदेश में प्रजाति की वापसी

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

6.1 भारत–फ़्रांस का तीसरा उपग्रह TRISHNA 12–16 महीनों में प्रक्षेपित होगा, जल-तनाव का मानचित्र बनाएगा
6.2 ग्राम सभा की सहमति के सवाल पर रीवा के ग्रामीणों ने निजी 2x220 मेगावाट परमाणु संयंत्र की ड्रिलिंग रोकी

7. समाज (Society)

7.1 मिज़ोरम जनगणना 2027 की अलग सूची में 38,213 पंजीकृत शरणार्थियों को गिनेगा
7.2 जम्मू-कश्मीर के EWS प्रमाणपत्र: 91% जम्मू संभाग को गए; विधायक ने राशन-कार्ड मानदंड की माँग की

8. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

8.1 प्रकरण 1 — "पाँच के हर समूह को हटाओ": थानाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और क्षेत्र के बाहर बैठी शांतिपूर्ण भीड़
8.2 प्रकरण 2 — छह बरी: लोक अभियोजक, "सिखाए-पढ़ाए" गवाह और दो लंबित मामले

9. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

9 19 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

10. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

10.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.1
10.2 GS1 कोना — Geography: तरुण हिमालय के आर-पार रेलवे: उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला लाइन
10.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
10.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): सत्यनिष्ठा का साहस (Courage of conviction — स्पष्ट और निर्भीक परामर्श)
10.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

11.1 दक्षता उतना ही बचाती है, जितना संयम सुरक्षित रखता है।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी ख़बरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	**केरल उच्च न्यायालय : डेटा संरक्षण बोर्ड को आठ सप्ताह में कार्यशील बनाया जाए** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS2 नियामक निकाय: प्रारंभिक परीक्षा के लिए DPDP अधिनियम, TDSAT और पुट्टस्वामी निर्णय; मुख्य परीक्षा के लिए ऐसा अधिकार, जिसकी सुनवाई का कोई चालू मंच ही न हो।*
2.1	**राष्ट्रीय इस्पात नीति का मसौदा : 2047 तक 604 मिलियन टन और अधिक स्वच्छ इस्पात** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS3 औद्योगिक नीति और जलवायु: प्रारंभिक परीक्षा के लिए हरित इस्पात वर्गीकरण; मुख्य परीक्षा के लिए उत्सर्जन घटाने में कठिन क्षेत्र में विकास बनाम कार्बन-मुक्ति।*
3.1	**दलहन मिशन का एक वर्ष : धान छोड़ने वाले किसानों को पुरस्कृत करें** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS3 फ़सल प्रतिरूप और सब्सिडी: प्रारंभिक परीक्षा के लिए MSP, PM-KUSUM; मुख्य परीक्षा के लिए यह कि फ़सल का फ़ैसला सलाह से नहीं, प्रोत्साहन से होता है।*
4.1	**गंगा जल संधि दिसंबर में नवीनीकरण के लिए देय** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS2 पड़ोस: प्रारंभिक परीक्षा के लिए संधि का सूत्र और फ़रक्का; मुख्य परीक्षा के लिए जल कूटनीति में केंद्र–राज्य खिंचाव।*
7.1	**मिज़ोरम 38,213 शरणार्थियों को जनगणना में अलग सूची में गिनेगा** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS1 जनसंख्या और GS2 अधिकार: प्रारंभिक परीक्षा के लिए शरणार्थी अभिसमय और जनगणना अधिनियम; मुख्य परीक्षा के लिए शरणार्थी कानून के बिना शरणार्थी।*

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — आज दो तरह के कार्ड हैं। "गहन अध्ययन" कार्ड दिन का कोई बड़ा मुद्दा है, जिसे आरवी सर के फ़ॉर्मूले से चुना गया है: वह पहले पृष्ठभूमि और कठिन शब्द समझाता है, फिर पाठ्यक्रम से जुड़ाव, प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य, तर्क सहित विश्लेषण, दोनों पक्ष, आगे की राह, आदर्श उत्तर-दृष्टिकोण के साथ मुख्य परीक्षा का प्रश्न, और वह निर्णय जो एक अधिकारी के सामने आएगा — साथ में यह भी कि वह तीन A (क्षमता, गुमनामी, सादगी) में से किसकी परीक्षा लेता है। "संक्षेप में" कार्ड वह ख़बर है जिसे जानना ज़रूरी है पर गहराई से पढ़ना नहीं: क्या हुआ, परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है, और प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य; उसमें आए विचार upscdarpan.in पर Concept Booster → आज के कॉन्सेप्ट में समझाए गए हैं। लंबे हिस्से शीर्षक वाले क्रमांकित बिंदुओं में हैं, ताकि शीर्षक पढ़कर ही तर्क समझ आ जाए। आख़िरी पन्ना, आज का आईना, दो मिनट अपने साथ है।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की तीनों ख़बरें एक ही समस्या की ओर इशारा करती हैं: अधिकार या सुधार काग़ज़ पर मौजूद है, पर उसे चलाने वाला तंत्र काम नहीं करता। डेटा संरक्षण क़ानून का कोई कार्यशील नियामक नहीं है; सूचना का अधिकार अधिनियम का स्वतः प्रकटीकरण का वादा मुश्किल से तीन में से दो सार्वजनिक प्राधिकरण निभा रहे हैं; और परिसीमन उस संविधान संशोधन की प्रतीक्षा में है जिसे अपना बहुमत नहीं मिल सका। हर मामले में अब अदालतें, लेखा परीक्षक या संसद का गणित इस प्रश्न को उठाने पर मजबूर कर रहे हैं।

1.1 केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा: डेटा संरक्षण बोर्ड को आठ सप्ताह में कार्यशील करें

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: *हर हवाई यात्री का निजी डेटा एक 2023 के क़ानून से संचालित होता है जिसका नियामक अभी काम ही नहीं करता; एक अदालत राज्य को अधिकार को लागू करने योग्य बनाने के लिए बाध्य कर रही है।*

मुद्दा **Data protection law and its regulator** (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय · स्वतंत्रता और जवाबदेही

> *अब तक की कहानी* संसद ने अगस्त 2023 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) पारित किया; इसके नियम 14 नवंबर 2025 को आए, जिनमें 18 माह की चरणबद्ध अनुपालन अवधि है। इस बीच चेहरे की पहचान पर आधारित डिजी यात्रा बोर्डिंग का दायरा फैलता गया है।

समाचार (THE NEWS) कोच्चि। द हिंदू और लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ, मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के तहत डेटा संरक्षण बोर्ड को आठ सप्ताह के भीतर कार्यशील बनाए। न्यायालय ने उस जनहित याचिका का निपटारा किया जिसमें माँग थी कि हवाई अड्डों पर यात्रियों का संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा अधिनियम और DPDP नियम, 2025 का कड़ाई से पालन करते हुए एकत्र, संग्रहीत और संसाधित किया जाए; न्यायालय ने कहा कि "नागरिकों की निजता से समझौता हो रहा है"। उसने पूछा था कि धारा 18 के तहत बोर्ड अस्तित्व में है भी या नहीं, और इससे पहले यह निर्णय दे चुका था कि डिजी यात्रा, जो चेहरे का मिलान कर हवाई अड्डों पर यात्रियों का सत्यापन करने वाला पोर्टल है, आधार पर अड़ नहीं सकता। न्यायालय ने दर्ज किया कि डिजी यात्रा अब आधार और ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार करता है और अपेक्षा की कि मतदाता पहचान पत्र पर भी विचार किया जाएगा।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))	1. **व्यक्तिगत डेटा और उसे रखने वाला कौन** — व्यक्तिगत डेटा वह हर जानकारी है जो आपकी पहचान कराती है: नाम, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, आपके चेहरे की तस्वीर। जो संस्था, चाहे कंपनी हो या सरकारी दफ़्तर, तय करती है कि इसका उपयोग क्यों और कैसे होगा, उसे "डेटा न्यासी" (data fiduciary) कहा जाता है, क्योंकि वह आपका डेटा विश्वास के साथ अपने पास रखती है। 2. **अधिकार तभी वास्तविक है जब उसके लिए कोई मंच हो** — क़ानून कह सकता है कि आपके डेटा के उपयोग से पहले आपकी सहमति ज़रूरी है और डेटा लीक होने पर आप शिकायत कर सकते हैं। पर यदि शिकायत सुनने और दोषी को दंडित करने वाला कोई न हो, तो यह वादा केवल शब्द रह जाता है। इसीलिए डेटा क़ानून नियामक बनाते हैं; DPDP अधिनियम में यह डेटा संरक्षण बोर्ड है, और दीवानी न्यायालय इन विवादों की सुनवाई नहीं कर सकते। 3. **भारत डेटा क़ानून तक कैसे पहुँचा** — 2017 में पुट्टस्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों ने निजता को मूल अधिकार माना। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति ने 2018 में विधेयक का मसौदा बनाया; 2019 के एक विधेयक के वापस लिए जाने के बाद संसद ने 2023 में DPDP अधिनियम पारित किया।
कठिन शब्द (KEY TERMS)	● डेटा न्यासी (Data fiduciary) — वह व्यक्ति, कंपनी या सरकारी निकाय जो किसी के व्यक्तिगत डेटा के संसाधन का उद्देश्य और साधन तय करता है। ● डिजी यात्रा (Digi Yatra) — नागरिक उड्डयन मंत्रालय की परियोजना, जिसकी परिकल्पना डिजी यात्रा फ़ाउंडेशन ने की, जो यात्रियों को चेहरे की पहचान से हवाई अड्डे की जाँच-चौकियों से निकलने देती है। ● परमादेश (Mandamus) — वह रिट जो किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को वह कर्तव्य निभाने का आदेश देती है जो क़ानून ने उस पर डाला है। ● दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) — दूरसंचार विवाद

	निपटान एवं अपीलीय अधिकरण; यह डेटा संरक्षण बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

निजता मूल अधिकार बनी (2017) → DPDP अधिनियम ने अधिकार और बोर्ड बनाए (2023) → नियम अधिसूचित, बोर्ड कार्यशील नहीं → हवाई अड्डे चेहरे का डेटा ले रहे हैं → केरल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका → आठ सप्ताह की समय-सीमा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **DPDP अधिनियम, 2023 अपने प्रवर्तन के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड पर टिका है** — धारा 18 भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करती है; इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है (धारा 19(2))। जिन मामलों का निर्णय करने का अधिकार बोर्ड को है, उन्हें दीवानी न्यायालय नहीं सुन सकते (धारा 39)। PIB (नवंबर 2025) के अनुसार चार सदस्यीय बोर्ड डिजिटल रूप से काम करता है और इसके आदेशों की अपील TDSAT में होती है; सबसे बड़ा दंड, ₹250 करोड़ तक, उचित सुरक्षा उपाय न रखने पर है। 2. **निजता अनुच्छेद 21 का भाग है; उच्च न्यायालय इसे अनुच्छेद 226 के तहत लागू करते हैं** — न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में कहा गया कि निजता में किसी भी हस्तक्षेप के लिए क़ानून, वैध उद्देश्य और आनुपातिकता ज़रूरी हैं। 2018 के आधार निर्णय ने धारा 57 को रद्द कर दिया, जो निजी कंपनियों को आधार माँगने देती थी। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के लिए और "किसी अन्य प्रयोजन के लिए" रिट जारी करने की शक्ति देता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **यदि प्रवर्तन करने वाला नियामक ही काम न कर रहा हो, तो क्या वैधानिक अधिकार वास्तविक हैं?** — सामान्य अध्ययन-2: "सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय" तथा नीतियों के "अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय"। आयाम: मूल अधिकार के रूप में निजता, नियामक की स्वतंत्रता, और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं में सहमति।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत होती है; उसके आदेशों के विरुद्ध अपील TDSAT में होती है। ● 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित DPDP नियम, 2025 में 18 माह की चरणबद्ध अनुपालन अवधि दी गई है (PIB)। ● न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **जब तक बोर्ड नहीं बैठता, अधिनियम के अधिकार लागू नहीं हो सकते** — शिकायत पहले कंपनी या विभाग के पास जाती है; उसके बाद केवल बोर्ड उसे सुन सकता है, क्योंकि अधिनियम दीवानी न्यायालयों को बाहर रखता है। इसलिए जिस यात्री के चेहरे का डेटा दुरुपयोग हुआ, उसके पास आज जाने की कोई जगह नहीं है; न्यायालय को यह तक पूछना पड़ा कि बोर्ड है भी या नहीं। दूसरा पक्ष: नियम 18 माह देते हैं, इसलिए व्यवस्था का तुरंत असर दिखाने का इरादा कभी था ही नहीं। यह बात कंपनियों के कर्तव्यों पर लागू होती है, शिकायत-मंच पर नहीं। 2. **कार्यपालिका के लिए समय-सीमा तय करना प्रवर्तन है, नीति-निर्माण नहीं** — न्यायालय सरकार नहीं चलाते। पर बोर्ड स्वयं संसद ने बनाया है; न्यायालय केवल यह माँग रहा है कि संसद का क़ानून लागू हो, जो परमादेश का क्लासिक प्रयोग है। सबसे मज़बूत आपत्ति यह है कि न्यायालय अक्सर ऐसे निर्देश देते हैं जिन्हें सरकारें अनदेखा कर देती हैं: प्रकाश सिंह (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के पुलिस सुधार निर्देश आज भी आंशिक रूप से ही माने गए हैं। यह तर्क संकीर्ण और जाँचे जा सकने वाले आदेश के पक्ष में है, जो आठ सप्ताह की समय-सीमा है, चुप रहने के पक्ष में नहीं। 3. **लेंस — नवाचार एवं सुरक्षा उपाय: कागज़रहित बोर्डिंग अच्छा अभियांत्रिकी-कार्य है, पर सहमति और भरोसे के लिए एक निर्णायक चाहिए** — डिजी यात्रा का मतलब है छोटी कतारें और कम काग़ज़ी जाँच। पर सहमति तभी मायने रखती है जब मना करना आसान हो: यदि मैनुअल कतार रेंगती है, तो 'ना' कहने की क़ीमत समय है, इसीलिए न्यायालय ने आधार पर अड़ने से रोका, जो 2018 के निर्णय की प्रतिध्वनि है। और केंद्र ही बोर्ड के हर सदस्य की नियुक्ति करता है, जबकि अधिनियम की धारा 17(2)(a) उसे अधिसूचित राज्य एजेंसियों को छूट देने देती है। दूसरा पक्ष: किसी नई संस्था को शुरू करने के लिए राज्य की क्षमता चाहिए; निश्चित कार्यकाल और प्रकाशित कारण बाद में स्वतंत्रता गढ़ सकते हैं।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: केंद्र और हवाई अड्डा संचालक: चेहरे पर आधारित बोर्डिंग कतारें और काग़ज़ी

	जाँच घटाती है, और 18 माह की चरणबद्धता एक बड़ी अर्थव्यवस्था को बिना व्यवधान के अनुपालन करने देती है। ● + पक्ष में: दुबले नियामक के समर्थक: छोटा डिजिटल बोर्ड जल्दी शुरू हो जाता है, और TDSAT में अपील उस पर अंकुश का काम करती है। ● – विपक्ष में: निजता के पक्षधर: बायोमेट्रिक डेटा आज एकत्र हो रहा है जबकि शिकायत का एकमात्र मंच काम नहीं कर रहा, इसलिए अधिकार केवल नाम के हैं। ● – विपक्ष में: अभिकल्प के आलोचक: केंद्र द्वारा नियुक्त बोर्ड, उस क़ानून के अधीन जो केंद्र को अपनी एजेंसियों को छूट देने देता है, सरकारी डेटा संचालकों पर कार्रवाई करने में हिचक सकता है।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. **न्यायालय की समय-सीमा के भीतर बोर्ड को गठित करें** — MeitY को आठ सप्ताह के भीतर सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए और शिकायत की प्रक्रिया प्रकाशित करनी चाहिए, जैसा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। 2. **वास्तविक गैर-बायोमेट्रिक कतार रखें और स्वतंत्रता बनाएँ** — हवाई अड्डों को मैनुअल जाँच में पर्याप्त कर्मचारी लगाने चाहिए ताकि डिजी यात्रा से मना करने में समय न लगे; निश्चित कार्यकाल और तर्कसंगत आदेश पुट्टस्वामी की आनुपातिकता कसौटी को पूरा करेंगे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"उपचार के बिना अधिकार, अधिकार ही नहीं है।" डेटा संरक्षण बोर्ड को कार्यशील बनाने में हो रही देरी के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — DPDP व्यवस्था में अधिकार और उपचार के बीच की खाई, उसके कारणों और प्रभावों की जाँच कीजिए और एक निर्णय पर पहुँचिए। 2. **भूमिका — एक नियामक को चलाने के लिए न्यायालय को आदेश देना पड़ा** — नमूना: पुट्टस्वामी निर्णय द्वारा निजता को मूल अधिकार बनाए जाने के नौ वर्ष बाद केरल उच्च न्यायालय को केंद्र को निर्देश देना पड़ा कि वह डेटा संरक्षण बोर्ड को आठ सप्ताह में कार्यशील बनाए। 3. **मुख्य भाग — अधिनियम के अधिकार केवल बोर्ड के रास्ते चलते हैं** — सहमति और शिकायत के अधिकार; दीवानी न्यायालय वर्जित। प्रवाह-चित्र बनाइए: डेटा प्रधान → न्यासी का शिकायत कक्ष → डेटा संरक्षण बोर्ड → TDSAT → सर्वोच्च न्यायालय। 4. **मुख्य भाग — बायोमेट्रिक बोर्डिंग इस खाई की क़ीमत दिखाती है** — डिजी यात्रा आज चेहरे का डेटा ले रही है; न्यायालय ने पाया कि निजता से "समझौता हो रहा है"। 5. **मुख्य भाग — चरणबद्धता कर्तव्यों के लिए ठीक है, शिकायत-मंच के लिए नहीं; स्वतंत्रता दूसरी खाई है** — मूल्य संवर्धन: 14 नवंबर 2025 के नियम, 18 माह की चरणबद्धता; ₹250 करोड़ के दंड के लिए निर्णायक चाहिए; सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र करता है। 6. **निष्कर्ष — MeitY सबसे पहले बोर्ड को बैठाए** — नमूना: MeitY को समय-सीमा के भीतर स्वतंत्र बोर्ड गठित करना चाहिए, क्योंकि निजता का अधिकार उतना ही वास्तविक है जितना उसका मंच।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. हवाई अड्डा निदेशक के रूप में आपको शिकायतें मिलती हैं कि यात्रियों को डिजी यात्रा की कतार में धकेला जा रहा है। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मेरे विकल्प हैं: इसे अनदेखा करूँ क्योंकि डिजी यात्रा स्वैच्छिक है, परिपत्र जारी करूँ, या गेट पर ही सुधार करूँ। भीड़ भरे गेट पर केवल परिपत्र कुछ नहीं बदलता। मैं मैनुअल कतार में प्रतीक्षा-समय जाँचूँगा, उन कतारों में उतने ही तेज़ चलने जितने कर्मचारी लगाऊँगा, संकेत-पट्ट लगवाऊँगा कि डिजी यात्रा वैकल्पिक है, न्यायालय द्वारा बताया हर पहचान-पत्र स्वीकार करूँगा, और शिकायतें तथा अपने कदम मंत्रालय को बताऊँगा। हितधारक हैं यात्री, संचालक, विमानन कंपनियाँ और सुरक्षा एजेंसियाँ। निर्णायक सिद्धांत: सहमति तभी वास्तविक है जब मना करने पर कोई दंड न हो।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — मैनुअल कतार का प्रतीक्षा-समय नापना और कर्मचारी-व्यवस्था सुधारना, ताकि "स्वैच्छिक" शब्द गेट पर भी सच हो, केवल परिपत्र में नहीं।

1.2 21 वर्ष का RTI: केवल 62.7% सार्वजनिक प्राधिकरणों ने CIC को पारदर्शिता लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपी

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा **RTI and transparency** (नया मुद्दा) दृष्टि (Lens) स्वतंत्रता और जवाबदेही

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर को 21 वर्ष का हुआ। द हिंदू के एक डेटा पॉइंट में पाया गया कि इसके स्वत: प्रकटीकरण के कर्तव्य की व्यापक अनदेखी हुई है। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2,303 पंजीकृत सार्वजनिक प्राधिकरणों में से केवल 1,446, यानी 62.7%, ने तृतीय-पक्ष पारदर्शिता लेखा परीक्षा रिपोर्टें जमा कीं, जो अब अनिवार्य हैं। इनमें से आधे से अधिक को ग्रेड C या उससे नीचे (80% या कम) अंक मिले; लगभग 37% ने कुछ भी दाख़िल नहीं किया। 2020-21 की तुलना में अनुपालन लगभग दोगुना हुआ है, जब 754 ने रिपोर्ट दी थी। द हिंदू ने 94 विभागों की वेबसाइटें जाँचीं: केवल 33 पर 2024-25 की लेखा परीक्षा रिपोर्टें थीं, और 26 पर धारा 4 की कोई सूचना नहीं थी। धारा 4 "स्वप्रेरणा से" (suo motu) प्रकटीकरण की अपेक्षा करती है, यानी प्राधिकरण स्वयं बिना किसी के माँगे सूचना दे, ताकि जनता को आवेदन दाख़िल करने का "न्यूनतम सहारा" लेना पड़े, जिससे सूचना आयोगों में लंबित मामले भी घटते।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	सामान्य अध्ययन-2 में "पारदर्शिता और जवाबदेही" तथा "सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय" शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा में धारा 4(1)(b), CIC का गठन और 2019 का संशोधन पूछा जा सकता है; मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि कमज़ोर स्वत: प्रकटीकरण नागरिकों को धीमे, मामला-दर-मामला RTI आवेदनों और अपीलों की ओर क्यों धकेलता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● RTI अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) में 17 मद, (i) से (xvii), सूचीबद्ध हैं जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्वप्रेरणा से (suo motu) प्रकाशित करना होता है। ● RTI अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ; केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के तहत होता है। ● सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और भत्ते निर्धारित करने देता है। ● उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) में सर्वोच्च न्यायालय ने जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) में पढ़ा।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● RTI अधिनियम की धारा 4 के तहत स्वप्रेरित (स्वत:) प्रकटीकरण (Suo motu disclosure) · केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

1.3 131वें संशोधन के अटकने के बाद 543 सीटों के भीतर परिसीमन एक विकल्प के रूप में उभरा

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा **Delimitation and seat allocation** (नया मुद्दा) दृष्टि (Lens) केंद्र और राज्य

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। विपक्ष द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की माँग के बीच, द इकोनॉमिक टाइम्स का विश्लेषण केंद्र के लिए एक रास्ता सुझाता है: 2026 के बाद की जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने पर लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर सीटों की सीमाएँ और हिस्से फिर से खींचना। सदन का आकार बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन चाहिए, जो प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों से पारित हो, और DMK के 22 सांसद मायने रखते हैं। PRS के अनुसार, संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 16 अप्रैल 2026 को पेश किए गए थे; पहला सीटों की सीमा 550 से बढ़ाकर 850 करता और महिला आरक्षण को जनगणना-पश्चात परिसीमन से अलग करता। संशोधन को आवश्यक बहुमत न मिलने पर परिसीमन विधेयक पर "आगे कार्यवाही नहीं हुई" (ET)। PRS के अनुसार इसके आयोग में प्रत्येक राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होता।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	सामान्य अध्ययन-2 में "जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ" और "संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ" शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अनुच्छेद 81, 82 और 334A तथा सीटों का स्थगन पूछा जाता है; मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है कि एक व्यक्ति-एक वोट और उन राज्यों के बीच संतुलन कैसे बने जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि धीमी की।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 82 हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों के पुन: समायोजन की अपेक्षा करता है; अनुच्छेद 81 सदन को 550 निर्वाचित सदस्यों तक सीमित करता है। ● 42वें संशोधन (1976) ने अंतर-राज्यीय सीट-हिस्सों को 1971 की जनगणना पर स्थिर कर दिया; 84वें संशोधन (2001) ने इस स्थगन को 2026 के बाद की पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ा दिया। ● 106वाँ संशोधन (2023) लोकसभा और विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है; अनुच्छेद 334A के अनुसार यह संशोधन के बाद की पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। ● अनुच्छेद 329(a) अनुच्छेद 327 या 328 के तहत बने परिसीमन या सीट-आवंटन संबंधी क़ानूनों की वैधता पर न्यायालयों को प्रश्न उठाने से रोकता है।

जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● परिसीमन और जनसंख्या-आधारित सीट स्थगन (Delimitation and the population-based seat freeze) · अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत (Special majority under Article 368) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

दोनों ख़बरें इस बारे में हैं कि भारत दुनिया को क्या बेचता है और किन शर्तों पर। मसौदा इस्पात नीति 2047 तक आज की क्षमता से लगभग तिगुनी क्षमता और साथ ही स्वच्छ इस्पात चाहती है, और उसकी कमज़ोर कड़ियाँ हैं आयातित कोकिंग कोयला और यूरोप का कार्बन कर। चीन वाली क़वायद छोटी है, पर ज़्यादा तीखी: भारत की ताक़त सेवाएँ हैं, और डेटा, लाइसेंस व वीज़ा के नियम, शुल्क नहीं, उसे एक विशाल बाज़ार से बाहर रखते हैं।

2.1 मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति का लक्ष्य: 2047 तक 604 मिलियन टन क्षमता और स्वच्छ इस्पात

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा : *इस्पात आरवी सर के चारों कारकों — पूँजी, भूमि (खदानें, संयंत्र स्थल), श्रम (MSME द्वितीयक इस्पात) और उद्यम — को छूता है और सबसे मुश्किल से घटने वाले क्षेत्र में भारत के नेट-ज़ीरो वादे की परीक्षा लेता है।*

मुद्दा **Steel capacity and green steel** (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण · बाज़ार और राज्य

> *अब तक की कहानी* राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 ने 2030-31 तक 300 मिलियन टन क्षमता का लक्ष्य रखा था। दिसंबर 2024 में हरित इस्पात वर्गीकरण (green steel taxonomy) आया; यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस (रॉयटर्स के हवाले से) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने शनिवार, 10 अक्टूबर की देर रात सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति जारी की। यह टिप्पणियों के लिए मसौदा है, कोई अंतिम निर्णय नहीं। इसका लक्ष्य 2047 तक क्षमता को मौजूदा लगभग 220 मिलियन टन (mt) से बढ़ाकर 604 mt करना और प्रति व्यक्ति खपत को 116 किग्रा से बढ़ाकर 302 किग्रा करना है। दो दशकों में निर्यात 45 mt तक पहुँचाना है। क्षेत्र की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 2047 तक 2.54 से घटाकर लगभग 1.54 टन CO2 प्रति टन कच्चा इस्पात करना है, जो "भारत के नेट ज़ीरो" लक्ष्य के अनुरूप बताया गया है; इसके साधन हैं अधिक स्क्रैप, हाइड्रोजन-आधारित प्रत्यक्ष अपचयित लोहा (DRI), बायोचार, गैसीकृत कोयला और कार्बन कैप्चर। मंत्रालय को 772 mt लौह अयस्क और 236 mt कोकिंग कोयले की माँग की उम्मीद है, जिसका एक हिस्सा विदेशी परिसंपत्तियों से पूरा किया जाना है; रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) हो चुके हैं।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))	1. **इस्पात दो तरीक़ों से बनता है, और एक तरीक़ा कहीं ज़्यादा उत्सर्जन करता है** — लौह अयस्क यानी ऑक्सीजन से बँधा हुआ लोहा। ब्लास्ट फ़र्नेस में कोकिंग कोयले से बना कोक ऑक्सीजन को खींच लेता है और कार्बन CO2 बनकर निकलता है। दूसरे तरीक़े में अयस्क को गैस से अपचयित करके प्रत्यक्ष अपचयित लोहा बनाया जाता है, या स्क्रैप को सीधे इलेक्ट्रिक फ़र्नेस में पिघला लिया जाता है। हाइड्रोजन से CO2 की जगह जल निकलता है, और स्क्रैप को अपचयन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 2. **देश के निर्माण के दौरान प्रति व्यक्ति इस्पात खपत बढ़ती है** — रेल, पुल, मकान और मशीनों में इस्पात लगता है; खपत तभी स्थिर होती है जब देश का ज़्यादातर निर्माण पूरा हो चुका हो। भारत की प्रति व्यक्ति 116 किग्रा खपत बढ़ने की गुंजाइश दिखाती है। 3. **असली अड़चन कच्चा माल है** — भारत के पास लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं, पर उसके अपने कोयले में राख इतनी ज़्यादा है कि अच्छा कोक नहीं बनता। बड़े संयंत्र अपना ज़्यादातर कोकिंग कोयला आयात करते हैं; 2017 की नीति में यह निर्भरता लगभग 85% बताई गई थी (PIB)।
कठिन शब्द (KEY TERMS)	• tCO2/tcs (टन CO2 प्रति टन कच्चा इस्पात) — एक टन कच्चा इस्पात बनाने में उत्सर्जित CO2 के टन। • प्रत्यक्ष अपचयित लोहा (Direct Reduced Iron, DRI) — अयस्क को पिघलाए बिना गैस या कोयले से उसकी ऑक्सीजन हटाकर बनाया गया लोहा। • द्वितीयक इस्पात क्षेत्र (Secondary Steel Sector) — छोटी, ज़्यादातर MSME इकाइयाँ जो इलेक्ट्रिक फ़र्नेस में स्क्रैप या स्पंज आयरन से इस्पात बनाती हैं। • कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) — यूरोपीय संघ का Carbon Border Adjustment Mechanism: आयातित माल में निहित कार्बन पर लगने वाला शुल्क।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बुनियादी ढाँचे की माँग → 2047 तक 604 mt का लक्ष्य → अधिक अयस्क और आयातित कोकिंग कोयला → प्रक्रिया न बदले तो अधिक उत्सर्जन → स्क्रैप और हाइड्रोजन-DRI से तीव्रता घटकर 1.54 → निर्यात CBAM में टिकेगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 वही नीति है जिसकी जगह यह मसौदा लेगा** — मई 2017 में स्वीकृत इस नीति ने 2030-31 तक 30 करोड़ टन कच्चे इस्पात की क्षमता और लगभग 158 किग्रा प्रति व्यक्ति खपत का लक्ष्य रखा था, और कोकिंग कोयले की आयात-निर्भरता को लगभग 85% से घटाकर करीब 65% पर लाने का उद्देश्य रखा था (PIB)।

	2. भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण तय करता है कि क्या हरित माना जाएगा — इस्पात मंत्रालय ने इसे 12 दिसंबर 2024 को जारी किया (PIB)। इसके अनुसार तैयार इस्पात के प्रति टन 2.2 टन CO2-समतुल्य से कम उत्सर्जन वाला इस्पात हरित है: 1.6 से कम पर पाँच सितारे, 1.6-2.0 पर चार, 2.0-2.2 पर तीन। प्रमाणन राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Secondary Steel Technology) करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	**1. क्या भारत इस्पात क्षमता तिगुनी करके भी क्षेत्र की कार्बन तीव्रता घटा सकता है?** — GS3 में "औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर उनका प्रभाव" और "संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण तथा क्षरण" शामिल हैं। तीन आयाम आने की संभावना है: कच्चे माल की सुरक्षा, कठिनाई से घटने वाले क्षेत्र का कार्बन-मुक्तीकरण, और कार्बन सीमा करों का जोखिम।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 ने 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात की क्षमता का लक्ष्य रखा था। ● भारत के हरित इस्पात वर्गीकरण (2024) के अनुसार तैयार इस्पात के प्रति टन 2.2 tCO2e से कम उत्सर्जन वाला इस्पात हरित है; इसका प्रमाणन राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान करता है। ● यूरोपीय संघ का CBAM लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन को कवर करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. मसौदे की असली कसौटी टन नहीं, मूल्य है** — टन का लक्ष्य भट्ठियाँ लगाने को पुरस्कृत करता है; मूल्य उन श्रेणियों से आता है जिन्हें भारत अब भी मुश्किल से बना पाता है, जैसे ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिकल इस्पात। मसौदा खुद कहता है कि क्षेत्र को "क्षमता-आधारित वृद्धि से आगे मूल्य सृजन की ओर" बढ़ना होगा। 2017 की नीति का भी ऑटोमोटिव इस्पात को लेकर यही उद्देश्य था, यानी समस्या पुरानी है और अब तक अनसुलझी। दूसरा पक्ष भी मज़बूत है: प्रति व्यक्ति 116 किग्रा पर भारत को सचमुच मात्रा चाहिए। यह सही है, पर गुणवत्ता के बिना मात्रा का मतलब है आयातित विशेष इस्पात की जगह देश में बना अतिरिक्त साधारण इस्पात। **2. बाध्यकारी बाधा पूँजी नहीं, कोकिंग कोयला है** — संयंत्रों के लिए धन जुटाकर कुछ वर्षों में उन्हें खड़ा किया जा सकता है, पर कोक के बिना ब्लास्ट फ़र्नेस चल नहीं सकती। मसौदा 236 mt कोकिंग कोयले की माँग मानकर "रणनीतिक वैश्विक पहुँच" और विदेशी परिसंपत्तियों की योजना बनाता है, जो चुपचाप मान लेना है कि घरेलू कोयला पर्याप्त नहीं होगा। विदेश में खदानें ख़रीदने से क़ीमत का जोखिम घटता है, निर्भरता नहीं। प्रतिवाद यह है कि मसौदे के अपने हरित रास्ते, स्क्रैप और हाइड्रोजन-DRI, में कोकिंग कोयले की ज़रूरत बहुत कम या नहीं के बराबर है। यह सच है, और इसी से कच्चे माल की सुरक्षा और हरित इस्पात एक ही परियोजना बन जाते हैं। **3. लेंस — विकास और पर्यावरण: प्रति टन स्वच्छ होने पर भी क्षेत्र ज़्यादा मैला हो सकता है** — तीव्रता का अर्थ प्रति टन उत्सर्जन है, कुल उत्सर्जन नहीं। इस कार्ड के हिसाब से, क्षमता लगभग तिगुनी करते हुए तीव्रता में करीब 40% की कमी करने पर भी मौजूदा उपयोग स्तर पर कुल उत्सर्जन लगभग दो-तिहाई बढ़ेगा। और CBAM यूरोप की सीमा पर कार्बन का मूल्य लगाता है, इसलिए 2.54 tCO2/tcs पर निर्यात होने वाले हर टन पर वह शुल्क लगेगा जिससे स्वच्छ प्रतिद्वंद्वी बचे रहते हैं। दूसरा पक्ष: भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है और उसका नेट-ज़ीरो वर्ष 2070 है, इसलिए अभी वृद्धि उचित है। जलवायु वार्ताओं में यह तर्क वैध है, पर इससे CBAM का बिल कम नहीं होता।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: उद्योग और योजनाकार: आवास, रेल और नवीकरणीय ऊर्जा को सस्ता घरेलू इस्पात चाहिए, और माल ढुलाई को रेल पर ले जाने से लागत घटती है। ● + पक्ष में: जलवायु और व्यापार: 1.54 tCO2/tcs तक का स्पष्ट रास्ता निर्यातकों को CBAM के लिए तैयार करता है और हरित निवेशकों को संकेत देता है। ● – विपक्ष में: उत्सर्जन में जकड़न (लॉक-इन): अभी बनी ब्लास्ट फ़र्नेस दशकों चलेंगी, इसलिए कुल उत्सर्जन बढ़ेगा। ● – विपक्ष में: भूमि और छोटी इकाइयाँ: 772 mt अयस्क का मतलब वन-आच्छादित ज़िलों में नई खदानें, और MSME को डर है कि हरित मानकों का बोझ वे उठा नहीं पाएँगी।
आगे की राह (WAY FORWARD)	**1. सार्वजनिक ख़रीद से माँग पैदा करना** — केंद्रीय ख़रीदार सार्वजनिक इस्पात ख़रीद का एक बढ़ता हिस्सा 2024 के वर्गीकरण के तहत सितारा-प्राप्त इस्पात के लिए आरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ख़रीदार हरित इस्पात के लिए अधिक दाम नहीं देता। **2. स्क्रैप को नियोजित संसाधन बनाना** — स्क्रैप का बेहतर संग्रह और श्रेणीकरण इलेक्ट्रिक फ़र्नेस

	को बढ़ने देता है; इसके लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (Steel Scrap Recycling Policy, 2019) को आधार बनाया जा सकता है। 3. **MSME के लिए चरणबद्ध राह** — कोई बाध्यकारी मानक लगाने से पहले द्वितीयक इकाइयों को दक्षता के लिए वित्त।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"क्षमता-आधारित वृद्धि से आगे मूल्य सृजन की ओर।" परीक्षण कीजिए कि भारत की मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति क्षमता विस्तार और कार्बन-मुक्तीकरण में किस प्रकार सामंजस्य बैठाने का प्रयास करती है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — लक्ष्यों और साधनों की जाँच कीजिए, दिखाइए कि वृद्धि और कार्बन-मुक्तीकरण कहाँ एक-दूसरे के विपरीत खिंचते हैं, और आकलन कीजिए कि दोनों में कितना सामंजस्य बैठता है। 2. **भूमिका — आज की क्षमता से लगभग तिगुनी क्षमता का मसौदा** — नमूना: भारत की मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति (अक्टूबर 2026) 2047 तक क्षमता को लगभग 220 से 604 मिलियन टन तक ले जाना चाहती है और साथ ही उत्सर्जन तीव्रता को 2.54 से घटाकर 1.54 tCO2/tcs करना चाहती है। 3. **मुख्य भाग — माँग वास्तविक है: प्रति व्यक्ति 116 किग्रा यानी निर्माणाधीन देश** — बुनियादी ढाँचा, आवास और नवीकरणीय ऊर्जा; लक्ष्य 302 किग्रा। 4. **मुख्य भाग — कोकिंग कोयले का आयात बाध्यकारी बाधा है** — 236 mt की माँग; 2017 की नीति की 85% निर्भरता; विदेशी खदानें क़ीमत का जोखिम घटाती हैं, निर्भरता नहीं। 5. **मुख्य भाग — घटती तीव्रता के बावजूद कुल उत्सर्जन बढ़ सकता है** — दो स्तंभ बनाइए: 220 mt × 2.54 बनाम 604 mt × 1.54; कुल फिर भी बढ़ता है। जनवरी 2026 से CBAM जोड़िए। 6. **मुख्य भाग — स्क्रैप, हाइड्रोजन-DRI और हरित ख़रीद दोनों में सामंजस्य बैठाते हैं** — मूल्य संवर्धन: 2024 का हरित इस्पात वर्गीकरण (तैयार इस्पात के प्रति टन 2.2 tCO2e से कम पर हरित; 1.6 से कम पर पाँच सितारे)। 7. **निष्कर्ष — इस्पात मंत्रालय को माँग के औज़ार के साथ नीति अंतिम करनी चाहिए** — नमूना: इस्पात मंत्रालय को हरित सार्वजनिक ख़रीद और MSME के लिए चरणबद्ध राह के साथ नीति को अंतिम रूप देना चाहिए, ताकि जुड़ने वाला हर टन पहले से अधिक स्वच्छ हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप सचिव (इस्पात) हैं। MSME द्वितीयक-इस्पात इकाइयाँ कहती हैं कि मसौदे के हरित मानक उन्हें बंद करा देंगे। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मेरे विकल्प हैं: छोटी इकाइयों को छूट देना, जिससे सबसे अधिक संख्या वाली भट्टियाँ अछूती रह जाएँगी; बड़े संयंत्रों के मानक लागू करना, जिससे इकाइयाँ बंद होंगी और रोज़गार जाएगा; या एक अलग, चरणबद्ध राह, जिसे मैं चुनता हूँ। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान से इंडक्शन-फ़र्नेस और कोयला-DRI के नमूना समूहों में उत्सर्जन मपवाऊँगा, ताकि मानक अनुमान पर नहीं, आँकड़ों पर टिके; फिर बाद की समय-सीमा के साथ दक्षता ऋण और स्वच्छ बिजली जोड़ूँगा। हितधारक हैं इकाई-मालिक, उनके कामगार, सस्ता इस्पात चाहने वाले ख़रीदार, और वे शहर जो भट्टियों का धुआँ झेलते हैं। निर्णायक सिद्धांत आनुपातिकता है: मानक हर उत्पादक पर बाध्यकारी रहे, पर गति इतनी हो जितनी हर कोई उठा सके।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — मानक लिखने से पहले छोटी इकाइयों के समूहों में उत्सर्जन की माप कराना, न कि लक्ष्य को पतला करना या बड़े संयंत्रों के नियम इंडक्शन फ़र्नेसों पर ज्यों के त्यों थोप देना।

2.2 वाणिज्य विभाग ने चीन में भारतीय सेवा निर्यातकों की बाधाओं का ख़ाका बनाया: डेटा, लाइसेंस, वीज़ा

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा **BRICS के बाद भारत-चीन संबंध** (कड़ी 4) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

> *अब तक की कहानी: दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी ने शी से कहा कि संबंध आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता पर टिकने चाहिए; बाद में लीक दस्तावेज़ों से पता चला कि 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान एक चीनी सरकारी बैंक ने भारत में ऋण रोक दिए थे।*

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य विभाग ने उद्योग से उन बाधाओं का ब्योरा माँगा है जिनका सामना भारतीय सेवा कंपनियाँ चीन में करती हैं: डेटा स्थानीयकरण (डेटा को चीन के भीतर ही रखने की बाध्यता वाले नियम), साइबर सुरक्षा और सीमा-पार डेटा हस्तांतरण के नियम, लाइसेंसिंग, पंजीकरण, वीज़ा, कार्य-अनुमति और पेशेवर योग्यताओं की मान्यता। विभाग ने वाणिज्यिक उपस्थिति, यानी कंपनी की स्थापना, स्वामित्व और स्थानीय साझेदारों के बारे में भी जानकारी माँगी

है। 2024 में चीन को भारत का सेवा निर्यात 8.95 अरब डॉलर था; एक उद्योग प्रतिनिधि के अनुसार चीन का कुल सेवा आयात लगभग 300 अरब डॉलर है। एक व्यापार विशेषज्ञ ने पूछा कि भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम चीन के व्यक्तिगत सूचना संरक्षण क़ानून (Personal Information Protection Law) से कितना मेल खाता है। विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2014 के 3% से बढ़कर 2024 में 4.3% हो गई।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2 में द्विपक्षीय संबंध और "विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव" शामिल हैं। चीन के साथ भारत का वस्तु-व्यापार घाटा बड़ा है, जबकि सेवाएँ उसकी ताक़त हैं। यहाँ की बाधाएँ शुल्क नहीं, नियम हैं, इसलिए कोण सेवाओं में गैर-टैरिफ़ बाधाओं (Non-Tariff Barriers) का है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● विश्व व्यापार संगठन के सेवा व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Trade in Services, GATS, 1995) के तहत सेवा व्यापार के चार तरीक़े हैं: सीमा-पार आपूर्ति, विदेश में उपभोग, वाणिज्यिक उपस्थिति और प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही। ● पेशेवरों के वीज़ा और कार्य-अनुमति GATS के तरीक़े 4 (Mode 4) में आते हैं; विदेश में शाखा खोलना तरीक़ा 3 (Mode 3) है। ● भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) व्यक्तिगत डेटा को विदेश भेजने की अनुमति देता है, सिवाय उन देशों के जिन्हें केंद्र अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित करे।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● GATS के आपूर्ति के तरीक़े (GATS modes of supply) · सेवा व्यापार में गैर-टैरिफ़ बाधाएँ (Non-tariff barriers in services trade) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

भारत में चावल ज़रूरत से ज़्यादा उगता है और दालें ज़रूरत से कम, और इसकी वजह किसानों की आदत नहीं, बल्कि वे प्रोत्साहन हैं जो राज्य ने धान के इर्द-गिर्द खड़े किए हैं। दलहन मिशन को एक साल हो गया है और आयात घट रहा है, पर सबसे कठिन रकबा, यानी पंजाब और हरियाणा की धान पट्टी, तभी खिसकेगा जब दाल से उतनी ही पक्की कमाई होगी जितनी चावल से। आज का काम का विचार यह है कि इस बदलाव की क़ीमत चुकाई जाए और उन्हीं खेतों को सूरज से भी कमाने दिया जाए।

3.1 दलहन मिशन का एक वर्ष: किसानों को धान छोड़ने की क़ीमत दीजिए, और सौर ऊर्जा भी उगाइए

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा : *भारत की ज़मीन पर कौन क्या उगाता है, यही किसानों की आय, भूजल और आयात बिल तय करता है; दलहन मिशन का पहला साल और कृषि-फोटोवोल्टिक का विचार हर छोटे किसान को छूते हैं।*

मुद्दा **Pulses, oilseeds and crop diversification** (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण · तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

> *अब तक की कहानी* दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) 11 अक्टूबर 2025 को ₹11,440 करोड़ के साथ शुरू हुआ, जो 2030-31 तक चलेगा। अक्टूबर में खाद्य तेलों की क़ीमतें साढ़े तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गईं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की पहली वर्षगाँठ पर 11 अक्टूबर की पीआईबी (PIB) की पृष्ठभूमि-टिप्पणी के अनुसार 2025-26 में दलहन उत्पादन 256.83 लाख टन से बढ़कर 274.09 लाख टन हो गया और आयात 31.52% घटकर ₹31,793.59 करोड़ रह गया। मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक लगभग 350 लाख टन उत्पादन, 1,130 किग्रा/हेक्टेयर उपज और 310 लाख हेक्टेयर रकबा है, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर पर ज़ोर है; नैफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) 2025-26 से 2028-29 तक इन तीनों फ़सलों की 100% ख़रीद कर सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में इक्रियर (ICRIER) के अशोक गुलाटी तर्क देते हैं कि पंजाब-हरियाणा में धान को लगभग ₹40,000 प्रति हेक्टेयर की इनपुट सब्सिडी मिलती है, इसलिए दलहन और तिलहन उगाने वालों को लगभग ₹35,000 मिलने चाहिए, जिसे केंद्र और राज्य 50:50 में वहन करें और शुरुआत हरियाणा से हो, जहाँ भूजल स्तर हर साल 1.7 फ़ीट गिर रहा है। वे पुनर्गठित पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) के ज़रिये कृषि-फोटोवोल्टिक का भी प्रस्ताव रखते हैं।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

1. **पंजाब और हरियाणा में धान ही क्यों उगाया जाता है** — सरकारी एजेंसियाँ चावल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदती हैं, इसलिए किसान को बुवाई से पहले ही अपना दाम पता होता है। पंपों के लिए बिजली मुफ़्त या लगभग मुफ़्त है, उर्वरक पर सब्सिडी मिलती है और नहर का पानी सस्ता है। जोखिम कम और लागत कम होने से धान हर विकल्प को पछाड़ देता है।
2. **इसका पानी और आयात पर क्या असर पड़ता है** — मुफ़्त बिजली के कारण किसान लागत का हिसाब लगाए बिना भूजल खींचते हैं। दलहन और तिलहन को पानी बहुत कम चाहिए, पर उन्हें ऐसा पक्का बाज़ार नहीं मिलता, इसलिए भारत उन्हें विदेश से ख़रीदता है: गुलाटी के अनुसार 2025-26 में $40 अरब का कृषि आयात मुख्यतः खाद्य तेलों और दालों का था।
3. **कृषि-फोटोवोल्टिक क्या है** — खेत के ऊपर सौर पैनल ऊँचाई पर लगाए जाते हैं, गुलाटी के अनुसार लगभग 10 से 11 फ़ीट की ऊँचाई पर, और बीच में धूप के लिए जगह छोड़ी जाती है। नीचे फ़सल उगती है और ऊपर पैनल बिजली बेचते हैं। यानी एक ही ज़मीन दो बार कमाती है।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum support price, MSP) — अधिसूचित फ़सलों के लिए केंद्र द्वारा घोषित मूल्य; यह मुख्यतः वहीं पक्का होता है जहाँ एजेंसियाँ सचमुच ख़रीद करती हैं।
- इनपुट सब्सिडी (Input subsidy) — किसान की बिजली, उर्वरक या पानी की लागत का एक हिस्सा राज्य द्वारा चुकाया जाना।
- कृषि-फोटोवोल्टिक (Agri-photovoltaics, agri-PV) — एक ही खेत में फ़सल और सौर ऊर्जा, जिसमें पैनल फ़सल के ऊपर ऊँचाई पर लगे होते हैं।
- फ़ीड-इन टैरिफ़ (Feed-in tariff) — छोटा उत्पादक ग्रिड को जितनी बिजली देता है, उसकी हर यूनिट के लिए बिजली कंपनी द्वारा चुकाया जाने वाला तय दाम।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पक्की ख़रीद और मुफ़्त बिजली → धान सबसे सुरक्षित फ़सल → भूजल गिरता है, चावल के अंबार लगते हैं → दालें और खाद्य तेल आयात होते हैं → बराबर की प्रोत्साहन राशि और दालों की पक्की ख़रीद से बदलाव फ़ायदेमंद बनता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **MSP की सिफ़ारिश CACP करता है और निर्णय मंत्रिमंडलीय समिति लेती है** — कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices, CACP) अधिसूचित खरीफ़ और रबी फ़सलों के लिए MSP की सिफ़ारिश करता है; निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) लेती है। MSP एक प्रशासनिक घोषणा है, वैधानिक अधिकार नहीं।

	2. **पीएम-कुसुम वह कृषि सौर योजना है जिस पर कृषि-फोटोवोल्टिक आधारित होगा** — 2019 में स्वीकृत और नवंबर 2020 में विस्तारित (PIB; MNRE) इस योजना के तीन घटक हैं : घटक क के तहत किसान अपनी ज़मीन पर 2 मेगावाट तक के नवीकरणीय संयंत्र लगा सकते हैं ; घटक ख स्वतंत्र सौर पंपों के लिए धन देता है ; घटक ग ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरीकरण करता है। घटक ख और ग में केंद्रीय सहायता 30% है, और पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों तथा द्वीपों में 50%।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **क्या भारतीय किसान क्या उगाएँगे, यह सलाह नहीं बल्कि प्रोत्साहन तय करते हैं ?** — सामान्य अध्ययन-3 में "देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फ़सलें, फ़सल पद्धतियाँ" और "प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय" शामिल हैं। परीक्षक तीन आयाम चाहेगा : धान के पीछे के प्रोत्साहन, भूजल, और दलहन तथा खाद्य तेलों में आयात-निर्भरता।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित है। ● MSP की सिफ़ारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति उसे अनुमोदित करती है ; इसे कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। ● पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) का घटक क किसानों को अपनी ज़मीन पर 2 मेगावाट तक के ग्रिड-संबद्ध नवीकरणीय संयंत्र लगाने की अनुमति देता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **विविधीकरण दाम के कारण नहीं, जोखिम के कारण विफल होता है** — किसान धान पर इसलिए टिके हैं कि उसका दाम और ख़रीदार निश्चित हैं, जबकि विकल्प का दाम और ख़रीदार अनिश्चित। इसीलिए तुअर, उड़द और मसूर की 100% ख़रीद का मिशन का वादा उसके बीज-किटों से ज़्यादा मायने रख सकता है। पहले ही साल में उत्पादन बढ़कर 274.09 लाख टन हो गया और आयात 31.52% घटा। दूसरा पक्ष यह है कि 2028-29 तक चार साल की पक्की ख़रीद दशकों पुरानी व्यवस्था बदल रहे किसान के लिए छोटी अवधि है। यह आपत्ति सही है : निश्चितता एक मिशन-चक्र से आगे तक टिकनी चाहिए। 2. **लेंस — अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार : बदलाव की क़ीमत उसी सब्सिडी से चुकाइए जो उससे बचेगी** — धान को बिजली, उर्वरक और नहर की सब्सिडी में लगभग ₹40,000 प्रति हेक्टेयर मिलते हैं, इसलिए दलहन या तिलहन के लिए लगभग ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि बचत से आएगी, नए ख़र्च से नहीं। पेच यह है कि बिजली पर बचत राज्यों को होती है और उर्वरक पर केंद्र को, इसलिए 50:50 का बँटवारा तभी चलेगा जब दोनों अपनी बचत वापस पा सकें। आपत्ति यह है कि धान के और भी सहारे हैं, जैसे लगभग 70 लाख टन चावल एथेनॉल के लिए देने की योजना, जिसे गुलाटी "विकृत" कहते हैं। हरियाणा में केवल सत्यापित हेक्टेयर के लिए भुगतान करने वाला एक पायलट इस विचार को सस्ते में परख सकता है। 3. **सही टैरिफ़ मिले तो कृषि-फोटोवोल्टिक किसी भी फ़सल-बदलाव से तेज़ी से आय बढ़ा सकता है** — अपने खेत के ऊपर लगे पैनलों से बिजली बेचने वाले किसान को दूसरी आय मिलती है जो बारिश या भाव पर निर्भर नहीं करती। गुलाटी राजस्थान में इक्रियर के एक पायलट का हवाला देते हैं, जिसने किसान की आय आठ से दस गुना बढ़ाई। आपत्ति लागत की है : ऊँचे ढाँचे ज़मीन पर लगे पैनलों से महँगे पड़ते हैं, और बिजली वितरण कंपनी को बिजली ख़रीदने के लिए राज़ी होना पड़ता है। इसीलिए उनके प्रारूप का ब्योरा, यानी ग्रामीण बिजली आपूर्ति की लागत के आधे पर भी तय फ़ीड-इन टैरिफ़, यह तय करता है कि विचार पायलट से आगे फैलेगा या नहीं।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में : पानी और मिट्टी : दालों को बहुत कम पानी चाहिए और वे नाइट्रोजन स्थिर करती हैं, इसलिए प्रोत्साहन राशि हरियाणा के गिरते भूजल स्तर को धीमा करती है। ● + पक्ष में : राजकोषीय : प्रोत्साहन राशि उन इनपुट सब्सिडियों से चुकाई जाएगी जो अब धान पर ख़र्च नहीं होंगी। ● – विपक्ष में : किसान : धान की ख़रीद निश्चित है ; दालों की ख़रीद का वादा केवल 2028-29 तक है, और दलहन की उपज अधिक जोखिम भरी है। ● – विपक्ष में : राज्य : बचत तभी दिखेगी जब धान का रकबा घटे, और लाखों खेतों का सत्यापन करने की क्षमता कई राज्यों के पास नहीं है।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. **हरियाणा में पायलट, सत्यापित हेक्टेयर पर भुगतान** — गुलाटी के प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र और हरियाणा 50:50 में प्रोत्साहन राशि वहन कर सकते हैं और भुगतान केवल उन हेक्टेयर के लिए करें जो धान से हटे हों और जिनका उपग्रह से सत्यापन हुआ हो। 2. **दालों की पक्की ख़रीद को आगे बढ़ाइए** — कृषि मंत्रालय को नैफेड और एनसीसीएफ को 2028-29 से आगे की अवधि देनी चाहिए, ताकि किसान बदलाव के लिए बाज़ार पर पर्याप्त भरोसा कर

	सकें। 3. **कृषि-फोटोवोल्टिक के लिए पीएम-कुसुम का पुनर्गठन** — गुलाटी के सुझाव के अनुसार घटक क के तहत ऊँचे कृषि-फोटोवोल्टिक ढाँचों की अनुमति दी जाए, पीएम-सूर्य घर जैसी सब्सिडी और तय फ़ीड-इन टैरिफ़ के साथ।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	पंजाब और हरियाणा के किसानों को धान से हटाकर दलहन और तिलहन की ओर ले जाने में प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन किस सीमा तक कारगर हो सकते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — किस सीमा तक** — आँकिए कि प्रोत्साहन कितनी दूर तक काम करते हैं और कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं। 2. **भूमिका — आज के प्रोत्साहनों में धान एक तर्कसंगत चुनाव है** — नमूना: पंजाब-हरियाणा के किसान धान इसलिए उगाते हैं कि MSP पर ख़रीद, मुफ़्त बिजली और सस्ता उर्वरक उसे सबसे सुरक्षित फ़सल बना देते हैं, भले ही भूजल स्तर गिर रहा हो। 3. **मुख्य भाग — बराबर की प्रोत्साहन राशि अंतर पाट सकती है** — धान की लगभग ₹40,000/हेक्टेयर की इनपुट सब्सिडी के सामने प्रस्तावित ₹35,000/हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि, जिसका वित्तपोषण बचत से होगा (अशोक गुलाटी, इक्रियर)। प्रवाह-चित्र बनाइए: बची सब्सिडी → प्रोत्साहन राशि का भुगतान → हटे हुए हेक्टेयर → बचा हुआ पानी। 4. **मुख्य भाग — पक्की ख़रीद के बिना केवल पैसा काफ़ी नहीं** — मूल्य संवर्धन: दलहन मिशन में 2028-29 तक तुअर, उड़द और मसूर की 100% ख़रीद; पहले ही साल में आयात 31.52% घटा। 5. **मुख्य भाग — बाकी संकेत अब भी धान के पक्ष में हों तो प्रोत्साहन विफल हो जाते हैं** — एथेनॉल के लिए चावल धान को दूसरा ख़रीदार देता है; हटे हुए हेक्टेयर के सत्यापन के लिए राज्य की क्षमता चाहिए। 6. **निष्कर्ष — केंद्र और हरियाणा सत्यापित पायलट शुरू करें** — नमूना: केंद्र और हरियाणा को दालों की पक्की ख़रीद के साथ साझा, सत्यापित प्रोत्साहन राशि का पायलट चलाना चाहिए, जिसे हटे हुए हेक्टेयर और बचे हुए पानी के आधार पर आँका जाए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. हरियाणा के एक धान उत्पादक ज़िले के उपायुक्त के रूप में किसान आपसे पूछते हैं कि जब धान की ख़रीद पक्की है तो वे उसे क्यों छोड़ें। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मेरे पास विकल्प हैं: उन वादों पर बदलाव की सलाह दूँ जिनकी मैं गारंटी नहीं दे सकता; सब कुछ जैसा है वैसा छोड़ दूँ; या कहने से पहले विकल्प को धान जितना पक्का बनाऊँ। मैं तीसरा चुनूँगा। मैं गाँव-दर-गाँव सूची बनाऊँगा कि नैफेड या एनसीसीएफ तुअर, उड़द और मसूर कहाँ और कब ख़रीदेंगे, और बुवाई से पहले उसे प्रकाशित करूँगा। मैं कुछ ब्लॉकों के स्वयंसेवी किसानों से शुरुआत करूँगा और उनकी असली लागत और कमाई राज्य सरकार को बताऊँगा। हितधारक हैं किसान, ख़रीद एजेंसियाँ, बिजली कंपनी और जलभृत (aquifer) पर निर्भर हर परिवार। निर्णायक सिद्धांत विश्वसनीयता है: किसान को केवल उन्हीं वादों पर बदलाव करना चाहिए जिन्हें राज्य निभा सके।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	सादगी (Austerity) — बुवाई के हफ़्ते गाँवों में ख़रीद-केंद्र और तारीख़ें तय करने में लगाना, महँगा जागरूकता अभियान चलाने के बजाय, जो बजट की क्षमता से ज़्यादा वादे करता।

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

दोनों ख़बरें इस सवाल की हैं कि साझा क्षेत्र पर किसका अधिकार चलेगा। गंगा पर 30 वर्ष की संधि दिसंबर में अपनी अवधि पूरी कर रही है और ढाका चाहता है कि पानी को अकेले नहीं, बिजली, व्यापार और लोगों के साथ जोड़कर देखा जाए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद ने विपक्ष के शासन वाले अपने इकलौते प्रांत की बागडोर सँभाल ली है। भारत को पहली घटना घर के भीतर संघीय व्यवस्था की कसौटी के रूप में और दूसरी को अपनी पश्चिमी सीमा पर चेतावनी के रूप में पढ़ना चाहिए।

4.1 दिसंबर में गंगा जल संधि के नवीनीकरण का समय, ढाका ने माँगा 'तकनीकी-राजनीतिक' समझौता

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 1 — भारत पर असर डालने वाली अंतरराष्ट्रीय घटना : *इसी वर्ष लिया जाने वाला एक समयबद्ध निर्णय तय करेगा कि साझा नदी का सूखे मौसम का पानी कैसे बँटे। इससे पूर्वी सीमा के भारत के सबसे बड़े पड़ोसी से संबंध और भारतीय राज्यों की जल-माँगें दोनों प्रभावित होंगी।*

मुद्दा India–Bangladesh ties (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य · रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी जुलाई–अगस्त 2024 की उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने चुनाव कराए। फ़रवरी 2026 में तारिक़ रहमान प्रधानमंत्री बने। तब से भारत के साथ संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। बांग्लादेश के निवर्तमान उच्चायुक्त एम. रियाज़ हमीदुल्लाह, जो 10 अक्टूबर को भारत से रवाना हुए, ने द इंडियन एक्सप्रेस के 'आइडिया एक्सचेंज' में बात की। साक्षात्कारकर्ता ने ध्यान दिलाया कि गंगा जल संधि "इसी दिसंबर नवीनीकरण के लिए देय" है और भारत के राज्य माँग कर रहे हैं कि उसका नवीनीकरण न हो। श्री हमीदुल्लाह ने कहा कि पानी के लिए "परस्पर हितों और अंतर्निर्भरता पर आधारित तकनीकी-राजनीतिक दृष्टिकोण" चाहिए। उनके अनुसार बांग्लादेश पाँच महीने जल-समृद्ध और सात महीने "व्यावहारिक रूप से सूखा" रहता है तथा गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (GBM) बेसिन का "केवल 7 प्रतिशत" हिस्सा साझा करता है। बांग्लादेश भारत से 2,500 मेगावाट बिजली ख़रीदता है। उन्होंने आर्थिक संपर्क को "कम से कम 28 से 30 अरब अमेरिकी डॉलर" का बताया, जो औपचारिक 13 अरब डॉलर के व्यापार के दोगुने से भी अधिक है, और लोगों को "मनमाने ढंग से सीमा पार धकेले जाने" की आलोचना की।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

1. **फ़रक्का वह बैराज है जो भारत ने कोलकाता बंदरगाह बचाने के लिए बनाया** — फ़रक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा पर, बांग्लादेश से ठीक ऊपर की ओर स्थित है। मई 1975 में चालू हुआ यह बैराज नदी का एक हिस्सा फ़ीडर नहर से हुगली में मोड़ता है, ताकि गाद बह जाए और कोलकाता बंदरगाह नौचालन योग्य बना रहे। वहाँ भारत जितना पानी मोड़ता है, वह बांग्लादेश तक नहीं पहुँचता।
2. **झगड़ा सिर्फ़ जनवरी से मई का है** — मानसून में पानी अधिशेष रहता है। सूखे महीनों में प्रवाह तेज़ी से गिरता है: संधि की अपनी अनुसूची के अनुसार फ़रक्का पर औसत प्रवाह जनवरी के शुरू में लगभग 1,07,500 क्यूसेक से घटकर अप्रैल के अंत तक लगभग 61,000 रह जाता है।
3. **1996 की संधि ने झगड़े को एक सूत्र में बदल दिया** — संधि 1 जनवरी से 31 मई तक हर दस दिन पर फ़रक्का के प्रवाह का बँटवारा तय करती है। इसकी अवधि तीस वर्ष है और इसे केवल आपसी सहमति से ही बढ़ाया जा सकता है।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- क्यूसेक (Cusec) — घन फ़ुट प्रति सेकंड: नदी के प्रवाह की इकाई, यानी किसी बिंदु से हर सेकंड गुज़रने वाला लगभग 28 लीटर पानी।
- GBM बेसिन (GBM basin) — गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का संयुक्त जलग्रहण क्षेत्र, जिसका पानी बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है।
- सूखा मौसम (Lean season) — वे सूखे महीने (संधि में जनवरी से मई) जब नदी में सबसे कम पानी होता है और हर क्यूसेक पर खींचतान होती है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

फ़रक्का सूखे मौसम का पानी कोलकाता बंदरगाह की ओर मोड़ता है → बांग्लादेश को जनवरी से मई तक कम पानी मिलता है → 1996 की संधि तीस वर्ष के लिए दस-दिवसीय हिस्से तय करती है → अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होती है → राज्यों की माँगें और ढाका की जोड़-तोड़ वाली राजनीति नवीनीकरण को आकार देती हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **संधि का सूत्र और सुरक्षा-प्रावधान** — 12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित संधि के अनुसार, जब फ़रक्का पर 70,000 क्यूसेक या उससे कम पानी हो तो प्रवाह 50:50 बँटता है; 70,000 से 75,000 के बीच बांग्लादेश को 35,000 और शेष भारत को मिलता है; 75,000 या उससे अधिक होने पर भारत को 40,000 और शेष बांग्लादेश को मिलता है। 11 मार्च से 10 मई के बीच तीन वैकल्पिक दस-दिवसीय अवधियों में प्रत्येक पक्ष को 35,000 क्यूसेक की गारंटी है (अनुलग्नक I)। यदि समीक्षा के बाद कोई सहमति न बने, तो भारत को बांग्लादेश के हिस्से का कम से कम 90% छोड़ना होगा (अनुच्छेद XI)।

	2. **संधि संघ करता है, नदियाँ राज्य सँभालते हैं** — संधियाँ संघ का विषय हैं (प्रविष्टि 14) और अनुच्छेद 253 संसद को संधि लागू करने के लिए किसी भी विषय पर क़ानून बनाने की शक्ति देता है। जल राज्य का विषय है (राज्य सूची की प्रविष्टि 17), जो संघ सूची की प्रविष्टि 56 (अंतर-राज्यीय नदियाँ) के अधीन है। कोई भी अनुच्छेद संधि के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं करता।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **क्या किसी पड़ोसी देश से संधि का भाग्य एक राज्य की जल-ज़रूरतों से तय होना चाहिए?** — GS2 के पाठ्यक्रम में "भारत एवं इसके पड़ोसी — संबंध" शामिल है। तीन आयामों की अपेक्षा रखें: सूखे मौसम में घटता प्रवाह, विदेश नीति में केंद्र–राज्य प्रश्न, और पानी को बिजली तथा प्रवासन से जोड़ना।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) का गठन 1972 में हुआ था। ● बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा समझौते को संविधान (100वाँ संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रभावी किया गया, जिसने पहली अनुसूची में संशोधन किया। ● फ़रक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में गंगा पर स्थित है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **कमज़ोर कड़ी बँटवारा नहीं, बल्कि वे प्रवाह हैं जिन्हें संधि मानकर चलती है** — सूत्र तभी काम करता है जब पानी आए। इसकी अनुसूची 1949–1988 के औसत प्रवाह पर टिकी है और अनुच्छेद II ऊपरी तटवर्ती देश से केवल इतनी अपेक्षा करता है कि वह उन्हें बचाने का "हर संभव प्रयास" करे। यदि ऊपरी धारा में उपयोग और अनियमित वर्षा से सूखे मौसम का प्रवाह घटता रहा, तो 50:50 और 50,000 क्यूसेक से नीचे के आपातकालीन प्रावधान अधिक बार लागू होंगे। दूसरा मत यह है कि भारत एक पड़ोसी के लिए अपने राज्यों के ऊपरी धारा के उपयोग को स्थिर नहीं कर सकता। यह बात सही है, लेकिन इससे प्रवाह के आधार को संशोधित करने का तर्क बनता है, संधि न करने का नहीं। 2. **लेंस — केंद्र और राज्य: क़लम संघ के हाथ में है, पर सीमावर्ती राज्य के पास व्यावहारिक वीटो है** — क़ानून की दृष्टि से प्रविष्टि 14 और अनुच्छेद 253 नई दिल्ली को अकेले संधि करने और उसे लागू करने की शक्ति देते हैं। व्यवहार में बैराज, कोलकाता बंदरगाह और ऊपरी धारा के किसान, सब राज्यों में हैं। तीस्ता समझौता इसकी क़ीमत दिखाता है: 2011 में तैयार मसौदे पर पश्चिम बंगाल के आपत्ति करने के बाद हस्ताक्षर कभी नहीं हुए। सबसे मज़बूत आपत्ति यह है कि विदेश नीति को एक राज्य का बंधक नहीं बनाया जा सकता। यह सही है, पर पहले से परामर्श करना उस संधि से सस्ता पड़ता है जिसे लागू करने में कोई राज्य सहयोग ही न करे। 3. **लेंस — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: ढाका पानी का सौदा बाक़ी सबके साथ करेगा** — "तकनीकी-राजनीतिक" दृष्टिकोण का अर्थ है आँकड़े और राजनीति साथ-साथ: बांग्लादेश चाहता है कि नवीनीकरण को पूरे संबंध के भीतर परखा जाए। वह भारत से 2,500 मेगावाट बिजली ख़रीदता है, और उच्चायुक्त औपचारिक 13 अरब डॉलर के व्यापार के मुक़ाबले आपसी संपर्क को 28-30 अरब अमेरिकी डॉलर का बताते हैं। दूसरा मत यह है कि इस जोड़-तोड़ से रुख़ कठोर होते हैं, क्योंकि भारत अपनी सीमा-नीति की क़ीमत क्यूसेक में तय नहीं होने देगा। फिर भी, भारतीय बिजली ख़रीदने वाले पड़ोसी का समझौते में हित है, और भारत का भी, जो स्वयं ब्रह्मपुत्र पर निचला तटवर्ती देश है।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: लचीलेपन के साथ नवीनीकरण: संधि ने तीस वर्ष तक पानी को तकनीकी विषय बनाए रखा है, और उसके समाप्त होने पर सूखे वर्ष में कोई न्यूनतम सीमा नहीं बचेगी। ● + पक्ष में: पड़ोस का तर्क: बांग्लादेश भारतीय बिजली ख़रीदता है और पूर्वोत्तर को समुद्र से जोड़ता है; स्थिर जल समझौता दोनों की रक्षा करता है। ● – विपक्ष में: भारतीय राज्य: 1996 के बाद पेयजल, सिंचाई और बंदरगाह की ज़रूरतें बढ़ी हैं, और 1949–88 के प्रवाह पर बना सूत्र उन्हें अनदेखा करता है। ● – विपक्ष में: पहले पुनर्वार्ता: फ़रक्का कोलकाता बंदरगाह के लिए है, इसलिए हुगली की ज़रूरतों के नए अध्ययन के बिना भारत को हिस्से फिर से पक्के नहीं करने चाहिए।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. **हाल के प्रवाह-आधार पर नवीनीकरण करें और समीक्षा खंड का उपयोग करें** — संधि का अनुच्छेद X पहले से हर पाँच वर्ष में समीक्षा का प्रावधान करता है; दोनों सरकारों को इसे निष्क्रिय छोड़ने के बजाय इस्तेमाल करना चाहिए। 2. **दैनिक प्रवाह के आँकड़े प्रकाशित करें** — संयुक्त समिति के दल फ़रक्का और हार्डिंज ब्रिज पर आँकड़े वास्तविक समय में साझा कर सकते हैं। 3. **राज्यों से परामर्श करें और पूरे बेसिन के बारे में सोचें** — विदेश मंत्रालय और जल शक्ति

	मंत्रालय को हस्ताक्षर से पहले पश्चिम बंगाल और ऊपरी धारा के राज्यों से औपचारिक परामर्श करना चाहिए। अनुच्छेद IX दोनों देशों को अन्य साझा नदियों पर समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध करता है, जो पूरे GBM के प्रबंधन का आधार बन सकता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	बांग्लादेश के साथ 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण को भारतीय राज्यों की जल-ज़रूरतें किस सीमा तक आकार दें? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — किस सीमा तक** — परखिए कि राज्यों की ज़रूरतों को कितना महत्व मिलना चाहिए और अंत में स्पष्ट मत रखिए। 2. **भूमिका — संधि अपने तीसवें वर्ष में** — नमूना: फ़रक्का पर गंगा के सूखे मौसम के प्रवाह को बाँटने वाली 1996 की गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में अपनी तीस वर्ष की अवधि पूरी कर रही है, और नवीनीकरण के लिए दोनों देशों की सहमति आवश्यक है। 3. **मुख्य भाग — राज्यों की ज़रूरतें वास्तविक हैं क्योंकि संधि पुराने प्रवाह पर टिकी है** — अनुसूची 1949–88 के औसत का उपयोग करती है। मूल्य संवर्धन: 70,000 क्यूसेक से नीचे 50:50 का बँटवारा और अनुच्छेद XI का 90% का वैकल्पिक प्रावधान। 4. **मुख्य भाग — संघ अकेले हस्ताक्षर कर सकता है, पर अकेले लागू नहीं कर सकता** — प्रविष्टि 14, अनुच्छेद 253, प्रविष्टि 17 और 2011 का अटका हुआ तीस्ता मसौदा। एक प्रवाह-आरेख बनाइए: गंगा → फ़रक्का → एक शाखा में कोलकाता बंदरगाह, दूसरी में बांग्लादेश। 5. **मुख्य भाग — नवीनीकरण न होना भारत के व्यापक हितों को चोट पहुँचाता है** — 2,500 मेगावाट का बिजली निर्यात और ब्रह्मपुत्र पर निचले तटवर्ती देश के रूप में भारत का अपना पक्ष। 6. **निष्कर्ष — संघ पहले परामर्श करे, फिर नए आँकड़ों पर नवीनीकरण करे** — नमूना: नई दिल्ली को तटवर्ती राज्यों से परामर्श करना चाहिए, ढाका के साथ प्रवाह का आधार संशोधित करना चाहिए और नवीनीकरण करना चाहिए, क्योंकि साझा नदियों को साझा नियम चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बांग्लादेश-म्यांमार) के रूप में आपके सामने एक राज्य सरकार माँग रखती है कि जब तक उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं, गंगा जल संधि का नवीनीकरण न किया जाए। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मेरे पास विकल्प हैं: राज्य की अनदेखी करूँ, क्योंकि संधियाँ संघ का विषय हैं; उसके सहमत होने तक वार्ता रोक दूँ; या उसे तैयारी में शामिल करूँ। अनदेखी से ऐसी संधि बनने का जोखिम है जिसे कोई लागू न करे; वार्ता रोकने से दिसंबर बिना किसी क़ानूनी न्यूनतम सीमा के निकल जाएगा। मैं राज्य से उसकी जल-माँग आँकड़ों के साथ माँगूँगा, केंद्रीय जल आयोग के साथ एक तकनीकी समूह बनाऊँगा और उसके सबसे मज़बूत बिंदुओं को वार्ता-पत्र में शामिल करूँगा। हितधारक हैं राज्य के किसान और कोलकाता बंदरगाह, बांग्लादेश के निचली धारा के उपयोगकर्ता, और बिजली निर्यात सहित ढाका के साथ भारत के व्यापक संबंध। निर्णायक सिद्धांत है संघ की संवैधानिक भूमिका के भीतर सहकारी संघवाद।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — बैठक से पहले अनुलग्नक I, 1949–88 के प्रवाह-आधार और अनुच्छेद XI को पढ़ लेना, ताकि राज्य की माँग का उत्तर आश्वासन से नहीं, आँकड़ों से दिया जाए।

4.2 पाकिस्तान ने ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में आपातकाल लगाकर PTI के नेतृत्व वाली सरकार को निलंबित किया

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा **पाकिस्तान: तनाव और संपर्क** (कड़ी 6)

> *अब तक की कहानी: पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने 5 अक्टूबर को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को तुरंत लागू करने पर सहमति जताई, और पाकिस्तान ने बाद में सऊदी अरब में सैनिकों की तैनाती की पुष्टि की।*

समाचार (THE NEWS) इस्लामाबाद। रविवार, 11 अक्टूबर को राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने संघीय मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश पर पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 232(1) और 234 के तहत ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में आपातकाल की घोषणा की। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इसके कारणों में "बिगड़ती क़ानून-व्यवस्था", आतंकी हमलों में वृद्धि और संवैधानिक तंत्र की विफलता बताए गए। संघीय सरकार राज्यपाल को प्रांतीय सरकार के कार्य अपने हाथ में लेने का निर्देश दे सकती है, और विधानसभा की शक्तियाँ संसद के पास चली जाती हैं। मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी और उनके मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। यह जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) द्वारा शासित एकमात्र प्रांत था। अफ़रीदी इमरान ख़ान की रिहाई के लिए 4 अक्टूबर को लक्की मरवत से शुरू हुए मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। PTI सांसद जुनैद अकबर ने कहा कि अफ़रीदी को गिरफ़्तार कर लिया गया है (AFP, द इकोनॉमिक टाइम्स में)।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2 में “भारत एवं इसके पड़ोसी” और “भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की योजना से तुलना” शामिल हैं। अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से लगे इस प्रांत में अस्थिरता, जहाँ उग्रवादी हमले बढ़ रहे हैं, भारत की पश्चिमी सुरक्षा के लिए मायने रखती है। मुख्य परीक्षा में निर्वाचित प्रांतीय सरकार के विरुद्ध इस आपातकाल की तुलना भारत के अनुच्छेद 356 और उसके इर्द-गिर्द बनाए गए सुरक्षा-उपायों से की जा सकती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारत में अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति चाहिए; S.R. Bommai v. Union of India (1994) ने इसे न्यायिक पुनर्विलोकन और बहुमत-परीक्षण (floor test) के अधीन बनाया। ● 44वें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में “आंतरिक अशांति” के स्थान पर “सशस्त्र विद्रोह” रखा।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● अनुच्छेद 356 और S.R. Bommai के सुरक्षा-उपाय · डूरंड रेखा (Durand Line) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

अब प्रजातियों की बहाली का अर्थ केवल उनकी रखवाली नहीं, बल्कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना भी है। असम से आठ जंगली भैंसे मध्य प्रदेश में एक खोई हुई प्रजाति को लौटाने के लिए पहुँचे हैं, और असली कसौटी उन्हें छोड़ना नहीं, बल्कि यह है कि झुंड प्रजनन करता है और टिकता है या नहीं।

5.1 काज़ीरंगा से लाए गए आठ जंगली भैंसे कान्हा में छोड़े गए, मध्य प्रदेश में प्रजाति की वापसी

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा **प्रजाति पुनर्प्राप्ति और बंदी प्रजनन** (कड़ी 4)

> *अब तक की कहानी* थार में captive-bred (बंदी-प्रजनित) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड छोड़े जा रहे हैं और प्रोजेक्ट चीता की गिनती 5 अक्टूबर को 60 तक पहुँची, यानी वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों में भारी गिरावट के बावजूद राज्यों के नेतृत्व वाले प्रयासों में लाभ दिख रहा है।

समाचार (THE NEWS) कान्हा (मध्य प्रदेश)। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार, 11 अक्टूबर को कान्हा टाइगर रिज़र्व में 17 हेक्टेयर के बाड़े में आठ जंगली भैंसे, छह मादा और दो नर, छोड़े। यह राज्य में प्रजाति को "लगभग एक सदी बाद" फिर बसाने के प्रयासों का हिस्सा है, द इंडियन एक्सप्रेस (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार। ये पशु असम के काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से, लगभग 2,200 किमी दूर से, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मदद से लाए गए। क्वारंटीन पूरा होने के बाद उन्हें सुपखार रेंज के एक हेक्टेयर के क्वारंटीन बाड़े से लाया गया। पुनर्वास (reintroduction) का अर्थ है किसी प्रजाति को उस क्षेत्र में वापस लाना जहाँ वह कभी रहती थी पर लुप्त हो गई; सॉफ़्ट रिलीज़ में पशुओं को पहले बड़े बाड़े में रखा जाता है, ताकि खुले में घूमने से पहले वे वहाँ रम जाएँ।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 में "संरक्षण" शामिल है। मुख्य परीक्षा के लिए कोण है: पुनर्बहाली के उपाय के रूप में अंतर-राज्यीय स्थानांतरण और उसके जोखिम, यानी संस्थापक संख्या का कम होना और रोग। प्रारंभिक परीक्षा में UPSC किसी प्रजाति की IUCN स्थिति, उसकी वैधानिक अनुसूची और जंगल में उसके बचे रहने के स्थान पूछता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● जंगली जल भैंसा (Bubalus arnee) IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में है। ● जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। ● काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। ● कान्हा टाइगर रिज़र्व कठोर भूमि के बारहसिंगा की बहाली के लिए जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● संरक्षण हेतु स्थानांतरण और पुनर्वास (Conservation translocation and reintroduction) · IUCN रेड लिस्ट की श्रेणियाँ (IUCN Red List categories) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

दोनों ख़बरों में तकनीक ज़मीन से टकराती है। फ़्रांस के साथ मिलकर बना एक उपग्रह अंतरिक्ष से यह नापेगा कि भारत के खेत कितने प्यासे हैं, जबकि रीवा में एक परमाणु परियोजना पहले ही बोरहोल पर अटक गई है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी सहमति दी ही नहीं। उपकरण बनाना आसान आधा हिस्सा है; भरोसा जीतना और उसका उपयोग करना कठिन आधा हिस्सा।

6.1 भारत–फ़्रांस का तीसरा उपग्रह TRISHNA 12–16 महीनों में प्रक्षेपित होगा, जल-तनाव का मानचित्र बनाएगा

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा **India–France space partnership** (नया मुद्दा)

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इसरो के यू.आर. राव उपग्रह केंद्र के निदेशक (परियोजनाएँ) जसविंदर सिंह खोराल ने रविवार को "TRISHNA वाटर फ़ॉर टुमॉरो" कार्यशाला में बताया कि TRISHNA (Thermal Infra-Red Imaging Satellite for High-resolution Natural Resource Assessment) अगले 12-16 महीनों में प्रक्षेपित किया जाएगा। मेघा-ट्रॉपिक्स और सरल के बाद यह भारत और फ़्रांस का इसरो तथा फ़्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ मिलकर विकसित किया गया तीसरा उपग्रह है। इस मुक़ाम तक पहुँचने में परियोजना को "लगभग एक दशक" लगा। इसरो के अनुसार CNES तापीय अवरक्त (थर्मल इन्फ्रारेड) उपकरण देता है और इसरो दृश्य तथा लघु-तरंग अवरक्त उपकरण; ज़मीन पर इसका विभेदन 57 मीटर है और यह 761 किमी की सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा से काम करेगा। यह कैसे काम करता है: हर सतह ऊष्मा को अवरक्त प्रकाश के रूप में छोड़ती है; उसे पढ़ने से भू-सतह का तापमान मिलता है। अच्छी तरह सींची गई फ़सल वाष्पोत्सर्जन (evapotranspiration) से पानी गँवाने के कारण ठंडी रहती है, जबकि प्यासी फ़सल गर्म हो जाती है। इसलिए तापमान का नक्शा जल-तनाव का नक्शा बन जाता है।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 में "अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता" और GS2 में "भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते" आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मिशनों के नाम, साझेदार और तापीय संवेदन क्या मापता है, यह तैयार रखें। मुख्य परीक्षा में अंतरिक्ष-आँकड़ों को सिंचाई-योजना, सूखे की पूर्व-चेतावनी और जल-उपयोग दक्षता से जोड़ें।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● मेघा-ट्रॉपिक्स (2011) ने उष्णकटिबंधीय जल-चक्र का अध्ययन किया और सरल (2013) में ARGOS आँकड़ा-प्रसारण प्रणाली तथा ALTIKA अल्टीमीटर लगे थे; दोनों इसरो–CNES के मिशन हैं। ● CNES (Centre National d'Études Spatiales) फ़्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। ● सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा किसी भी स्थान के ऊपर से हर बार एक ही स्थानीय सौर समय पर गुज़रती है, जिससे अलग-अलग चित्रों में प्रकाश की स्थिति तुलनीय रहती है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● तापीय अवरक्त सुदूर संवेदन और वाष्पोत्सर्जन (Thermal infrared remote sensing and evapotranspiration) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

6.2 ग्राम सभा की सहमति के सवाल पर रीवा के ग्रामीणों ने निजी 2x220 मेगावाट परमाणु संयंत्र की ड्रिलिंग रोकी

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा **परमाणु ऊर्जा का विस्तार** (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी: NPCIL ने RAPP-8 में ईंधन भरना शुरू किया, जो 700 MWe का स्वदेशी PHWR है, और फ़्रांस की EDF ने यूरोपीय रिएक्टर प्रस्तुत किए, जबकि भारत नए परमाणु क़ानून के तहत नियम बना रहा है।

समाचार (THE NEWS) रीवा (मध्य प्रदेश)। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 9 अक्टूबर को रोझौही के पास ग्रामीणों ने प्रस्तावित 2x220 मेगावाट परमाणु बिजली परियोजना के लिए स्थल-जाँच हेतु भेजे गए ड्रिलिंग उपकरण रोक दिए। टाटा पावर के 13 जुलाई के पत्र में परियोजना-पूर्व गतिविधियों का ब्योरा है; कलेक्टर कार्यालय का 21 अगस्त का पत्र आठ बोरहोल की बात करता है, जिनमें चार 100 मीटर गहरे हैं। 3 सितंबर को सराय कला में हुई विशेष ग्राम सभा ने आपत्तियाँ दर्ज कीं और सरपंच ने लिखा कि सहमति नहीं दी गई थी। कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी का आरोप है कि कोई जन-सुनवाई नहीं हुई और अनापत्ति प्रमाणपत्र "जाली और गढ़े हुए पत्र" पर आधारित था। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि कोई भूमि आवंटित नहीं हुई, केवल उपयुक्तता की जाँच की अनुमति दी गई थी, और प्रदर्शनों से पहले प्रशासन को ग्राम सभा की सहमति मिल चुकी थी। 220 मेगावाट की इकाई भारत का छोटा स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर है।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 में "अवसंरचना: ऊर्जा" और GS2 में स्थानीय स्वशासन आता है। नज़रिया यह है कि परमाणु विस्तार अब निजी डेवलपरों पर और भूमि तथा जल के लिए स्थानीय सहमति जीतने पर निर्भर है। मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उच्च-जोखिम वाले संयंत्रों के स्थल-चयन में सामाजिक स्वीकृति, जन-सुनवाई और ग्राम सभाओं की क्या जगह है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board) का गठन 1983 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत हुआ था; SHANTI अधिनियम, 2025 की धारा 17 उसे नए अधिनियम के तहत गठित मानती है। ● भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और संवर्धन (SHANTI) अधिनियम, 2025 (संख्या 39/2025) को 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह निजी कंपनियों को लाइसेंस देने की अनुमति देता है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त करता है, और केंद्र द्वारा अधिसूचित तिथियों से लागू होता है। ● PHWR में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदक तथा शीतलक, दोनों के रूप में भारी जल का उपयोग होता है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● दाबित भारी जल रिएक्टर (Pressurised Heavy Water Reactor) · परियोजनाओं के लिए सामाजिक स्वीकृति और ग्राम सभा की सहमति (Social licence and Gram Sabha consent) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

7. समाज (Society)

आज की दोनों ख़बरें इस सवाल पर हैं कि गिना किसे जाता है और किस पैमाने से। मिज़ोरम तीन संघर्षों से आए शरणार्थियों को जनगणना में अलग सूची में दर्ज करेगा, उस देश में जहाँ कोई शरणार्थी क़ानून नहीं है और ऐसे लोग कार्यपालिका की प्रथा के भरोसे हैं। जम्मू-कश्मीर के EWS प्रमाणपत्र दिखाते हैं कि केंद्र से उतारा गया नियम किस तरह ग़रीबी को ऐसे नापता है कि एक क्षेत्र के ग़रीब छूट जाते हैं।

7.1 मिज़ोरम जनगणना 2027 की अलग सूची में 38,213 पंजीकृत शरणार्थियों को गिनेगा

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 1 — भारत पर असर डालने वाली अंतरराष्ट्रीय घटना : *म्यांमार, बांग्लादेश के पहाड़ी इलाक़ों और मणिपुर के संकट भारत के एक ही राज्य में आकर ठहरे हैं; जनगणना उन्हें कैसे गिनती है, यह शरणार्थी क़ानून-विहीन देश की परीक्षा है।*

मुद्दा जनगणना 2027 और जनसांख्यिकीय आँकड़े (कड़ी 5) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था · केंद्र और राज्य

> *अब तक की कहानी* जनगणना 2027 में जाति खुले कॉलम में दर्ज होगी और 1981 की जनगणना-नगर परिभाषा बनी रहेगी; गृह मंत्रालय ने धर्म-वार आँकड़े माँगे हैं, और दिव्यांग समूहों ने हिंदी अधिसूचना में दिव्यांगता के लिए 'नि:शक्तता' शब्द पर आपत्ति जताई।

समाचार (THE NEWS) आइज़ोल। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना के दूसरे चरण की समीक्षा के लिए शनिवार, 10 अक्टूबर को मुख्य सचिव खिल्ली राम मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि मिज़ोरम जनगणना 2027 के दौरान राज्य में अस्थायी रूप से रह रहे शरणार्थियों की गणना करेगा और उन्हें भारतीय नागरिकों से अलग सूची में दर्ज करेगा। गृह मंत्री के. सापडांगा ने 40 सदस्यीय विधानसभा को बताया था कि 20 अगस्त तक 38,213 शरणार्थी पंजीकृत थे: म्यांमार से 29,575, मणिपुर से 6,959 और बांग्लादेश से 1,679; स्थानीय संगठनों के अनुसार यह संख्या 60,000 से अधिक है। म्यांमार के अधिकतर शरणार्थी चिन हैं जो फ़रवरी 2021 के तख़्तापलट के बाद आए; बॉम बांग्लादेश की सैन्य कार्रवाई से नवंबर 2022 में भागे; कुकी-ज़ोमी लोग मई 2023 में मणिपुर के जातीय संघर्ष से भागे। तीनों मिज़ो समुदाय के सजातीय हैं। किसी को आधार संख्या साझा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और विशेष गहन पुनरीक्षण में मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 78,442 लोग भी गिने जाएँगे।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

1. **शरणार्थी, अवैध प्रवासी और विस्थापित व्यक्ति एक नहीं हैं** — शरणार्थी वह है जो अपने देश में उत्पीड़न के सुस्थापित भय से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर आया हो। अवैध प्रवासी वह है जो किसी भी कारण से वैध काग़ज़ों के बिना आता या रहता है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति घर छोड़कर भागा तो है, पर अपने ही देश के भीतर है, जैसे मणिपुर से आए कुकी-ज़ोमी; चिन और बॉम सीमा पार करके आए हैं।
2. **भारत शरणार्थियों को प्रथा से शरण देता है, क़ानून से नहीं** — भारत ने 1951 के शरणार्थी अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उसके पास शरणार्थी क़ानून नहीं है; क़ानून की नज़र में हर ग़ैर-नागरिक "विदेशी" है। फिर भी उसने, उदाहरण के लिए, तिब्बतियों और श्रीलंकाई तमिलों को कार्यपालिका के निर्णय से शरण दी है, इसलिए संरक्षण उस समय की नीति पर टिका है, किसी अधिकार पर नहीं।
3. **जनगणना लोगों को गिनती है, नागरिकों को नहीं** — जनगणना का लक्ष्य संदर्भ तिथि पर भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को गिनना है, चाहे उसके पास काग़ज़ हों या न हों। अलग सूची शरणार्थियों को गिनती में रखती है, पर उन्हें नागरिकों के आँकड़ों में मिलाती नहीं।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) — निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की घर-घर जाकर की जाने वाली नई जाँच, जिसमें अपात्र, मृत या स्थानांतरित पाए गए नाम हटाए जाते हैं।
- बायोमेट्रिक पंजीकरण (Biometric enrolment) — उँगलियों के निशान, आँख की पुतली और चेहरा दर्ज करना, ताकि बाद में हर व्यक्ति की अलग पहचान हो सके।
- कार्यपालिका की प्रथा (Executive practice) — विधायिका द्वारा पारित क़ानून के बजाय आदेशों और निर्णयों के ज़रिए की गई सरकारी कार्रवाई।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

म्यांमार में तख़्तापलट (2021), बांग्लादेश की कार्रवाई (2022), मणिपुर संघर्ष (2023) → सजातीय समूह मिज़ोरम में आए → राज्य ने उन्हें पंजीकृत किया → जनगणना 2027 में नागरिकों से अलग सूची

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **जनगणना अधिनियम, 1948 जनगणना का आधार है और लोगों के बताए ब्योरे की रक्षा करता है** — "जनगणना" संघ सूची की प्रविष्टि 69 है, और गणना जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के तहत होती है, जिसे 2027 के लिए उसकी धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया (PIB, 4 जून 2025)। हर व्यक्ति को गणनाकार के प्रश्नों का उत्तर देना होता है, पर जनगणना के अभिलेख गोपनीय हैं और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।

	2. ग़ैर-नागरिक आप्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 तथा अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं — 2025 के अधिनियम (Immigration and Foreigners Act, 2025) ने विदेशी अधिनियम, 1946 को निरस्त किया और हर ग़ैर-नागरिक को विदेशी माना, जिसमें शरणार्थी की कोई श्रेणी नहीं है। अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति की रक्षा करता है: Louis De Raedt v Union of India (1991) और NHRC v State of Arunachal Pradesh (1996) राज्य को ग़ैर-नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बाध्य करते हैं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	**1. क्या भारत शरणार्थी क़ानून के बिना शरणार्थियों के प्रवाह को सँभाल सकता है, और उन्हें गिनने से क्या बदलता है?** — GS1 में "जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे" और GS2 में "विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव" आता है। तीन आयामों की अपेक्षा रखें: क़ानूनी शून्य, सीमा-पार जातीय निकटता, और सुरक्षा तथा संघीय तनाव।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय या उसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। ● जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, और लद्दाख, हिमाच्छादित जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर 2026। ● आप्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 ने विदेशी अधिनियम, 1946 को निरस्त किया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. दृष्टि — स्वतंत्रता और व्यवस्था: अलग सूची गिनती की रक्षा तभी करती है जब शरणार्थी उस पर भरोसा करें** — जिस शरणार्थी को निर्वासन का डर है, वह फ़ॉर्म लेकर आने वाले हर व्यक्ति से छिपता है, इसलिए कम गिनती स्वाभाविक है; 38,213 पंजीकृत और स्थानीय समूहों के 60,000 से अधिक के अनुमान का अंतर यही दिखाता है। मिज़ोरम के दो रक्षोपाय, नागरिकों से अलग सूची और आधार का ज़बरदस्ती खुलासा न करना, इस डर का जवाब देते हैं, और जनगणना अधिनियम उत्तरों को साक्ष्य बनाने से रोकता है। दूसरा पक्ष यह है कि राज्य उनका बायोमेट्रिक पंजीकरण भी कर रहा है, और विदेशियों की सटीक सूची वही चीज़ है जो निर्वासन अभियान को चाहिए। रक्षोपाय तभी टिकता है जब गणना और प्रवर्तन के आँकड़े अलग रहें। **2. क़ानून के अभाव में कौन शरणार्थी माना जाए, यह निकटता और राजनीति पर टिक जाता है** — मिज़ोरम चिन, बॉम और कुकी-ज़ोमी का मिज़ो लोगों के सजातीय के रूप में स्वागत करता है; वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर की "जनसांख्यिकीय संरचना" का हवाला देकर 8 फ़रवरी 2024 को म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही समाप्त करने का निर्णय लिया। दोनों कार्यपालिका के चुनाव हैं, और किसी से भी शरणार्थी को प्रवर्तनीय अधिकार नहीं मिलता। गौहाटी उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को कहा कि अनुच्छेद 21 विदेशियों की भी रक्षा करता है, पर वह जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठहरने के अधिकार की नहीं। क़ानून के विरोध में तर्क यह है कि वह आकर्षण-कारक पैदा करता है और बाध्यकारी दायित्व थोपता है; पर क़ानून सीमाएँ भी तय करता है। **3. जनगणना और मतदाता सूची अलग-अलग सवालों के जवाब हैं, और मिज़ोरम उन्हें अलग रखता है** — मतदाता सूची पूछती है कि मतदान कौन कर सकता है, इसलिए उसमें केवल नागरिक होते हैं; जनगणना पूछती है कि यहाँ रहता कौन है, इसलिए उसमें सब होने चाहिए। पुनरीक्षण में हटाए गए 78,442 लोगों को गिनना यह मानना है कि मताधिकार खोना अस्तित्व खोना नहीं है, और इससे योजनाकारों को अधिक सही आधार मिलता है। प्रतिपक्ष यह है कि हटाए गए मतदाताओं को गिनने से संदिग्ध और प्रमाणित नागरिकता की रेखा धुँधली हो सकती है। अलग शरणार्थी सूची इसका उत्तर देती है: वह नागरिकों की गिनती को साफ़ रखती है और किसी को बाहर भी नहीं छोड़ती।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: मानवीय पक्ष: चिन, बॉम और कुकी-ज़ोमी हिंसा से भागे हैं और मिज़ो लोगों के सजातीय हैं; उन्हें गिनने से उनकी ज़रूरतें दिखाई देती हैं। ● + पक्ष में: आँकड़ों का पक्ष: जो जनगणना हज़ारों निवासियों को छोड़ दे, वह उस पर बनी हर योजना को भटका देती है। ● – विपक्ष में: सुरक्षा का पक्ष: केंद्र ने 2024 में सुरक्षा और जनसांख्यिकी की रक्षा के लिए मुक्त आवाजाही समाप्त करने की ओर क़दम बढ़ाया; आधिकारिक सूची को बसावट की स्वीकृति माना जा सकता है। ● – विपक्ष में: भरोसे का पक्ष: बायोमेट्रिक पंजीकरण साथ-साथ चलने से शरणार्थी किसी भी सूची को निर्वासन की ओर पहला क़दम मान सकते हैं और छिप सकते हैं।
आगे की राह (WAY	**1. शरणार्थी सूची की गोपनीयता की गारंटी दें** — महारजिस्ट्रार को सार्वजनिक रूप से घोषित

FORWARD)	करना चाहिए कि शरणार्थियों की अनुसूचियाँ गोपनीय हैं और प्रवर्तन के लिए साझा नहीं की जाएँगी। 2. **क़ानून द्वारा एक राष्ट्रीय मानक तय करें** — संसद परिभाषित कर सकती है कि शरणार्थी कौन होगा और उसे क्या संरक्षण मिलेगा, ताकि व्यवहार राज्य या जातीय संबंध के अनुसार न बदले।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत शरणार्थी क़ानून के बिना शरणार्थियों को आश्रय देता है। जनगणना 2027 में शरणार्थियों को अलग से गिनने के मिज़ोरम के निर्णय के महत्त्व का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — जाँचें कि यह निर्णय क्या हासिल करता है और किन जोखिमों को जन्म देता है, और यह शरणार्थी नीति के बारे में क्या बताता है; अंत में अपना निष्कर्ष दें। 2. **प्रस्तावना — क़ानूनी शून्य में एक गणना** — नमूना: भारत में शरणार्थी क़ानून न होने पर भी मिज़ोरम जनगणना 2027 में म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर के 38,213 पंजीकृत शरणार्थियों को अलग सूची में दर्ज करेगा। 3. **मुख्य भाग — अलग सूची नागरिकता दिए बिना सही आँकड़े देती है** — जनगणना निवासियों को गिनती है, मतदाता सूची नागरिकों को। मूल्यवर्धन: स्थानीय समूहों का अनुमान 60,000 से अधिक है, जो कम गिनती के जोखिम को दिखाता है। 4. **मुख्य भाग — कार्यपालिका की प्रथा से संरक्षण निकटता और राजनीति पर टिक जाता है** — मिज़ोरम के स्वागत की तुलना 2024 में मुक्त आवाजाही समाप्त करने के क़दम से करें। फ़्लोचार्ट: विदेश में संघर्ष → सीमा-पार आगमन → राज्य में पंजीकरण → जनगणना सूची → राहत या निर्वासन। 5. **मुख्य भाग — गोपनीयता तय करती है कि शरणार्थी सहयोग करेंगे या नहीं** — जनगणना के उत्तर साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं; अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति की रक्षा करता है (NHRC v Arunachal Pradesh, 1996)। 6. **निष्कर्ष — जनगणना प्राधिकारी पहले गोपनीयता की गारंटी दें** — नमूना: महारजिस्ट्रार को सबसे पहले शरणार्थियों को आश्वस्त करना चाहिए कि उनके उत्तर गोपनीय रहेंगे, क्योंकि केवल भरोसेमंद गणना ही मानवीय नीति का मार्गदर्शन कर सकती है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. चम्फाई के ज़िला जनगणना अधिकारी के रूप में आपके सामने एक शरणार्थी परिवार निर्वासन के डर से ब्योरा देने से मना कर देता है। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मेरे विकल्प हैं: जनगणना अधिनियम में उत्तर देने के कर्तव्य का हवाला देकर दंड की चेतावनी देना, परिवार को छोड़ देना, या उनका भरोसा जीतना। धमकी उनके डर को सही साबित करेगी; छोड़ देने से वह गणना टूटेगी जिसे पूरा करना मेरा दायित्व है। मैं उनकी भाषा बोलने वाले गणनाकार और किसी सम्मानित चर्च-प्रतिनिधि या गाँव के बुज़ुर्ग के साथ दोबारा जाऊँगा, समझाऊँगा कि शरणार्थी सूची अलग है, आधार के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और जनगणना के उत्तर साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकते, और केवल वही दर्ज करूँगा जो अनुसूची माँगती है। हितधारक: परिवार, शरणार्थी समुदाय, राज्य और जनगणना प्राधिकारी। निर्णायक सिद्धांत: सही गणना गोपनीयता के वादे को निभाने पर निर्भर करती है।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — यह ठीक-ठीक जानना कि जनगणना अधिनियम गोपनीयता पर क्या वादा करने देता है, और उससे अधिक कोई वादा न करना, ताकि परिवार का भरोसा आश्वासन पर नहीं, क़ानून पर टिके।

7.2 जम्मू-कश्मीर के EWS प्रमाणपत्र: 91% जम्मू संभाग को गए; विधायक ने राशन-कार्ड मानदंड की माँग की

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा EWS quota and who counts as poor (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता

समाचार (THE NEWS) श्रीनगर। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर में जारी 26,514 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) प्रमाणपत्रों में से 24,058 (91%) जम्मू संभाग को गए और 2,486 कश्मीर को। हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद ग़नी लोन ने इस असंतुलन पर प्रस्ताव रखा; अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने सरकार से इसकी जाँच करने को कहा। केंद्र की तरह जम्मू-कश्मीर के 2019 के नियमों में भी आय ₹8 लाख से कम और कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होना ज़रूरी है, और 1,000 वर्ग फ़ुट का मकान रखने वाला व्यक्ति बाहर रखा गया है। आलोचकों का कहना है कि ये नियम स्थानीय हक़ीक़त को अनदेखा करते हैं: भूमि कनाल और मरला में दर्ज होती है, और कश्मीर के बहुमंज़िला मकान मंज़िल-दर-मंज़िल नापे जाते हैं। फिर भी अंत्योदय अन्न योजना (सबसे ग़रीब परिवारों की योजना) के लगभग 2,20,000 राशन कार्डों में से करीब 1,44,000 कश्मीर में और लगभग 75,000 जम्मू में हैं। लोन चाहते हैं कि EWS पात्रता AAY के मानदंडों से तय हो।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2 में "वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ" और GS1 में "ग़रीबी और विकासात्मक मुद्दे" आते हैं। यह मामला मुख्य परीक्षा का कोण दिखाता है: समान रूप से लागू संपत्ति-परीक्षण उस क्षेत्र के ग़रीबों को बाहर कर सकता है जहाँ मकान और भूमि-अभिलेख अलग ढंग के हैं, और ग़रीबी के दो सरकारी पैमाने उलटी दिशा में इशारा कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में EWS के प्रावधान और AAY की पात्रता पूछी जाती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● 103वें संविधान संशोधन, 2019 ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े, जो SC, ST या OBC कोटे से बाहर के EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की अनुमति देते हैं। ● Janhit Abhiyan v Union of India (2022) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से 103वें संशोधन को वैध ठहराया। ● राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा खाद्यान्न मिलता है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) आरक्षण (Economically Weaker Sections reservation) · अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

8. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

प्रकरण 1 — "पाँच के हर समूह को हटाओ": थानाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और क्षेत्र के बाहर बैठी शांतिपूर्ण भीड़

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू (12 अक्टूबर) की रिपोर्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार की विशेष बैठक में दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों पर लगी रोक के मामले में प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला पाया। उसने निर्देश दिया कि जिस क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, उसके बाहर शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों की सभा के विषय में विशेष रूप से, "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय" किसी को हिरासत में न लिया जाए। पत्रकारों और वकीलों को अपना काम करने दिया जाए। मान लीजिए आप निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र के ठीक बाहर के थाने के थानाध्यक्ष (SHO) हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी का वायरलेस संदेश आता है: "पाँच या अधिक लोगों के हर समूह को हटाओ। न मानने वालों को हिरासत में लो। बसें तैयार हैं।" आपके इलाके के एक पार्क में लगभग तीस विद्यार्थी तख़्तियाँ लिए चुपचाप बैठे हैं। प्रेस कार्ड वाले दो संवाददाता फ़िल्म बना रहे हैं। स्थानीय लोग विद्यार्थियों पर फब्तियाँ कस रहे हैं। जब आप न्यायालय के आदेश का ज़िक्र करते हैं, तो आपके वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि यह "आयुक्त की चिंता का विषय है"।

प्रश्न 1. क्या आप वायरलेस निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य हैं? क्यों या क्यों नहीं?

प्रश्न 2. अगले एक घंटे में आप पार्क में क्या करेंगे?

प्रश्न 3. आप अपने निर्णय को कैसे दर्ज और सूचित करेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **वैध आदेश की भी सीमाएँ होती हैं** — पुलिस अधिकारी को वैध आदेशों का पालन करना होता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश हर प्राधिकारी पर बाध्यकारी है; अनुच्छेद 144 के अनुसार सभी प्राधिकारी न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। शांतिपूर्ण और निहत्थी सभा अनुच्छेद 19(1)(b) से संरक्षित है और उस पर अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत केवल विधि द्वारा ही निर्बंधन लगाया जा सकता है। धारा 163 वाले क्षेत्र के बाहर ऐसा कोई आदेश नहीं है जो पार्क में बैठे पाँच लोगों को ग़ैर-क़ानूनी बना दे। BNSS की धारा 170 बिना वारंट गिरफ़्तारी की अनुमति केवल तभी देती है जब किसी संज्ञेय अपराध को किसी और तरीक़े से रोका न जा सके। तख़्तियाँ लिए चुपचाप बैठी भीड़ इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती।

2. **ज़मीनी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करें** — स्वयं पार्क में जाएँ। धारा 163 के आदेश का नक़्शा जाँचें। आयोजकों से बात करें, धरने को चलने दें और संवाददाताओं को अपना काम करने दें। यहाँ लोक व्यवस्था को ख़तरा फब्तियाँ कसने वालों से है, इसलिए उन्हें अलग करें और यदि वे हिंसक हों तो विधि के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। यदि हिंसा भड़क जाए तो न्यूनतम बल का प्रयोग करें और उसका कारण दर्ज करें।

3. **सब कुछ लिखित में रखें** — निर्देश लिखित में माँगें। लिखित उत्तर दें कि यह स्थान निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र के बाहर है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला दें। अपना निर्णय थाने की डायरी में दर्ज करें और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) को सूचित करें। अवैध निर्देश को विनम्रता से और अभिलेख पर मानने से इनकार करना अवज्ञा नहीं है।

4. **निष्कर्ष — जिस A की परीक्षा है: क्षमता (Ability)** — यहाँ क्षमता का अर्थ है किसी को बसों की ओर भेजने से पहले ठीक-ठीक जानना कि धारा 163 का आदेश कहाँ तक लागू है और न्यायालय ने क्या कहा है।

प्रकरण 2 — छह बरी: लोक अभियोजक, "सिखाए-पढ़ाए" गवाह और दो लंबित मामले

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस (12 अक्टूबर) की रिपोर्ट है कि ग़ुलाम नबी, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस स्वयंभू हिज़्बुल मुजाहिदीन का डिवीज़नल कमांडर बताती है, डोडा में छठे मामले में बरी हो गया है। तलाशी दल के पुलिसकर्मियों ने अदालत को बताया कि अधिकारियों ने उन्हें "निर्देश दिया" था कि कौन-से नाम लेने हैं। एक ने कहा कि जो राइफ़ल बरामद दिखाई गई, वह अन्य FIR में पहले ही बरामद दिखाई जा चुकी थी। पहले के मामलों में गवाहों ने कहा कि उनके बयान "सिखाए-पढ़ाए" थे। नबी 2010 के दो मामलों में अब भी जेल में है; उसे पहली बार 16 वर्ष पहले गिरफ़्तार किया गया था और उसकी पत्नी ने तीन बच्चों को अकेले पाला। मान लीजिए आप उन दो मामलों में लोक अभियोजक हैं। केस डायरियों में वही पैटर्न दिखता है। पुलिस अधीक्षक (SP) का कार्यालय आपसे "गवाहों को ठीक से तैयार करने" और ज़मानत का विरोध करने को कहता है, क्योंकि एक और बरी होना बल का "मनोबल गिराएगा"। उसी दिन एक संपादकीय लेख में नंदितेश निलय याद करते हैं कि सरदार पटेल ने अपने विधि सचिव से पूछा था: "क्या सरकार तुम्हें तुम्हारी बेईमान राय के लिए वेतन देती है?"

प्रश्न 1. लोक अभियोजक किसकी सेवा करता है: पुलिस की, सरकार की या न्यायालय की?

प्रश्न 2. दो लंबित मामलों और ज़मानत पर आप क्या सलाह देंगे?

प्रश्न 3. आप SP कार्यालय को क्या उत्तर देंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **अभियोजक न्यायालय और सत्य की सेवा करता है** — अभियोजक का काम सारा साक्ष्य निष्पक्षता से न्यायालय के सामने रखना है, उसमें वह भी शामिल है जो अभियुक्त के पक्ष में जाता हो। उसका काम मुक़दमे जीतना नहीं है। गवाहों को किसी व्यक्ति का नाम लेने की पट्टी पढ़ाना साक्ष्य गढ़ना है। यह अपराध है, और यह असली आतंकवादियों के विरुद्ध मामलों को भी कमज़ोर करता है, क्योंकि हर सिखाया-पढ़ाया गवाह अगले ईमानदार गवाह की साख गिरा देता है।

2. **ईमानदार राय दें, लिखित में** — यह पटेल का मानक है। हर लंबित मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय संपोषक साक्ष्य की जाँच करें। यदि वह नहीं है, तो दर्ज करें कि साक्ष्य दोषसिद्धि को टिका नहीं सकता। या तो न्यायालय की अनुमति से अभियोजन से हटने की सिफ़ारिश करें या मुक़दमे का शीघ्र निपटारा करने की। ज़मानत का विरोध आदतन न करें। 16 वर्ष की हिरासत शीघ्र विचारण के अनुच्छेद 21 के अधिकार को उठाती है, जिसे हुसैनारा खातून (1979) में मान्यता दी गई है।

3. **केवल फ़ाइल नहीं, व्यवस्था को सुधारें** — "दोबारा इस्तेमाल" किए गए बरामद हथियारों और सिखाए गए गवाहों के पैटर्न की सूचना अभियोजन निदेशक को दें और जाँच का अनुरोध करें। 2009 में मारे गए विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के परिवार का हक़ है कि असली हमलावर पकड़ा जाए, न कि कोई सुविधाजनक नाम।

4. **निष्कर्ष — जिस A की परीक्षा है : गुमनामी (Anonymity)** — गुमनामी का अर्थ है श्रेय से पहले काम को रखना : आपका नोट उस मामले को ख़त्म कर सकता है जिसे विभाग ने कभी कमांडर की गिरफ़्तारी बताकर घोषित किया था, और इसके लिए कोई आपको धन्यवाद नहीं देगा।

9. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तय सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
सर्वोच्च न्यायालय की रविवार की बैठक — दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों पर रोक के मामले में प्रथम दृष्टया अवमानना	रविवार, 11 अक्टूबर की विशेष बैठक में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने न्यायालय के 9 अक्टूबर के आदेश की प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला पाया, जिसमें कहा गया था कि मेट्रो और रेल सेवाओं को विनियमित किया जा सकता है, पर पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और DMRC की अध्यक्ष को नोटिस जारी किए। उसने निर्देश दिया कि "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय" किसी को हिरासत में न लिया जाए, विशेषकर धारा 163 BNSS के आदेश वाले क्षेत्र के बाहर शांतिपूर्ण और निहत्थी सभाओं के मामले में, और इंटरनेट सेवाएँ बाधित न की जाएँ (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 3–4; द हिंदू पृ. 1; LiveLaw)। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति अनुच्छेद 129 से मिलती है, जो उसे अभिलेख न्यायालय बनाता है।
BNSS की धाराएँ 126 और 170 — दिल्ली में प्रयुक्त निवारक शक्तियाँ	दिल्ली में हिरासत में लिए गए प्रदर्शन-नेताओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 126 और 170 के अंतर्गत निवारक गिरफ़्तारी में रखा गया और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने शांति बनाए रखने के बंधपत्र पर उन्हें छोड़ दिया (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 4)। धारा 126 कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि शांति भंग करने की संभावना वाले व्यक्ति से शांति बनाए रखने का बंधपत्र निष्पादित करवाए; यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 107 का स्थान लेती है। धारा 170 पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ़्तारी की अनुमति देती है, यदि संज्ञेय अपराध को अन्यथा रोका न जा सके; हिरासत 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती, जब तक आगे की हिरासत अधिकृत न हो। यह CrPC की धारा 151 का स्थान लेती है। इनमें से कोई भी धारा 163 का आदेश नहीं है, जो अधिसूचित क्षेत्र में सभाओं पर रोक लगाती है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना — केरलम विधानसभा का प्रस्ताव	केरलम सरकार राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी जिसमें केंद्र सरकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को हटाने का आग्रह किया जाएगा; किसी भी राज्य विधायिका का ऐसा यह पहला प्रस्ताव है (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 7)। राज्य के प्रस्ताव का इस पद पर कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार CEC को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार या अक्षमता, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समावेदन द्वारा। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल CEC की सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) — स्थापना दिवस, 12 अक्टूबर	भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 33वीं वर्षगाँठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 3)। NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के अंतर्गत हुई। इसका अध्यक्ष भारत का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर नियुक्त करता है। इसके निष्कर्ष सिफ़ारिशें होते हैं; यह उन्हें स्वयं लागू नहीं कर सकता।
कच्चातीवु — 1974 और 1976 के समझौते	श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने 11 अक्टूबर को कहा कि भारत ने अपने सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार किया है कि कच्चातीवु श्रीलंका का है (द हिंदू पृ. 14)। सर्वोच्च न्यायालय उन याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है जो द्वीप को "असंवैधानिक रूप से सौंपे जाने" को चुनौती देती हैं; महान्यायवादी ने न्यायालय को बताया कि भारत 1974 और 1976 के भारत–श्रीलंका समुद्री समझौतों को दोबारा खोलने का इरादा नहीं रखता, और मामला अगली बार फ़रवरी 2027 में सूचीबद्ध है (द हिंदू पृ. 14; LiveLaw)। 1974 के समझौते ने पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) में सीमा खींची; 1976 के समझौते ने मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में सीमा तय की, जिससे प्रत्येक पक्ष को रेखा के अपनी ओर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उसके संसाधनों पर संप्रभु अधिकार मिले। कच्चातीवु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के ठीक श्रीलंका की ओर स्थित है। बेरुबारी संदर्भ (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारतीय भू-भाग सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन आवश्यक है।
मणिपुर — कुकी–नागा झड़पें और 1949 के विलय के विरोध में बंद	कुकी और नागा समूहों के बीच दो दिन की सशस्त्र झड़पें कामजोंग, उखरुल और कांगपोकपी ज़िलों में फैल गईं; मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शांति की अपील की (द हिंदू पृ. 1; द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 6)। सात प्रतिबंधित सशस्त्र समूहों ने मणिपुर के भारतीय संघ में विलय के विरोध में 15 अक्टूबर को "राष्ट्रीय काला दिवस" के रूप में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है (द हिंदू पृ. 1, 12)। मणिपुर विलय समझौते पर 21 सितंबर 1949 को शिलांग में हस्ताक्षर हुए और यह 15 अक्टूबर 1949 से प्रभावी हुआ। मणिपुर पहले भाग ग राज्य बना, फिर 1956 में संघ राज्यक्षेत्र और 1972 में पूर्ण राज्य।
जापान — अप्रैल–जून 2026-27 में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत	PTI द्वारा उद्धृत सरकारी आँकड़े बताते हैं कि अप्रैल–जून 2026-27 में जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सबसे बड़ा स्रोत बना, और इस तिमाही का निवेश-प्रवाह जापान के 2025-26 के कुल निवेश से पहले ही अधिक है (द हिंदू पृ. 8; द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 13)। FDI के आँकड़े उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) संकलित करता है, और विदेशी निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) से शासित होता है। भारत और जापान के बीच 2014

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	से विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी है।
GST ई-इनवॉइसिंग — आयातित सेवाओं और रिवर्स चार्ज वाली ख़रीद तक विस्तार	57वीं GST परिषद की सिफ़ारिश के बाद, ₹5 करोड़ या उससे अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए ई-इनवॉइसिंग को आयातित सेवाओं और अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से उन ख़रीदों तक बढ़ाया जाना है जिन पर रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) के अंतर्गत कर लगता है। परिषद ने सार्वजनिक परामर्श के बाद, संभवत: अप्रैल 2027 की विवरणी अवधि से, विवरणियों में कर देयता और इनपुट टैक्स क्रेडिट को सुधारने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 9)। RCM में कर आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि प्राप्तकर्ता चुकाता है (CGST अधिनियम की धारा 9(3) और 9(4))। सेवाओं का आयात IGST अधिनियम के अंतर्गत अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाता है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्रेता को प्रत्येक आपूर्तिकर्ता इनवॉइस को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या लंबित रखने की सुविधा देता है।
तेल विपणन कंपनियों के लिए RBI की डॉलर खिड़की खुली	12 अक्टूबर से RBI निर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को प्रचलित बाज़ार दरों पर सीधे डॉलर बेच रहा है, ताकि इन तेल विपणन कंपनियों को हाज़िर बाज़ार (स्पॉट मार्केट) से ख़रीद न करनी पड़े (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 12; 11 अक्टूबर को कार्ड में शामिल)। इसका उद्देश्य डॉलर की माँग के सबसे बड़े स्रोतों में से एक को बाज़ार से बाहर करके रुपये पर दबाव घटाना है, डॉलर की किसी कमी को पूरा करना नहीं। तेल आयातक विदेशी मुद्रा के सबसे बड़े ख़रीदारों में हैं, क्योंकि भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है।
संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र — अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत भारत और जापान	30 सितंबर को भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत अपने संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (Joint Crediting Mechanism, JCM) की संचालन नियमावली जारी की। सहयोग ज्ञापन पर 7 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर हुए थे और कार्यान्वयन नियम 8 जून 2026 को अपनाए गए (PIB, pib.gov.in)। अनुच्छेद 6.2 देशों को द्विपक्षीय सहयोग करने और उत्सर्जन में कमी को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरणीय शमन परिणाम (ITMOs) कहते हैं, अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 6.4 एक अलग, संयुक्त राष्ट्र की देखरेख वाला क्रेडिटिंग तंत्र स्थापित करता है।
COP31 — अंताल्या में, वार्ताओं के ऑस्ट्रेलियाई अध्यक्ष के साथ	तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने अगले महीने तुर्किये के अंताल्या में होने वाले COP31 की अपनी योजनाएँ रखी हैं। COP31 के अध्यक्ष तुर्किये के मुरात कुरुम हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन वार्ताओं के अध्यक्ष होंगे। उन्होंने "अध्यक्षता-संचालित" राजनीतिक निर्णय का प्रस्ताव रखा है, जिसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया खुली होगी (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 9)। COP30 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में हुआ था।
INDRA और KONKAN — इस सप्ताह के दो नौसैनिक अभ्यास	INS सह्याद्रि 10 अक्टूबर को 13 से 18 अक्टूबर तक चलने वाले अभ्यास INDRA 2026, यानी भारतीय नौसेना और रूसी संघ की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास, के लिए व्लादिवोस्तोक पहुँचा। स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिशूल 8 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले KONKAN-26, यानी रॉयल नेवी के साथ वार्षिक भारत–ब्रिटेन समुद्री अभ्यास, के लिए प्लायमाउथ में है (PIB, रक्षा मंत्रालय, 11 अक्टूबर)। याद रखने योग्य जोड़े: INDRA — रूस; KONKAN — ब्रिटेन; वरुण — फ्रांस; JIMEX — जापान; SIMBEX — सिंगापुर; SLINEX — श्रीलंका; AUSINDEX — ऑस्ट्रेलिया; मालाबार — अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
ICMR-CHAMP — केलांग में उच्च-तुंगता चिकित्सा केंद्र	केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा 12 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले के केलांग में ICMR उच्च-तुंगता चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र (ICMR Centre for High Altitude Medicine and Public Health Research, ICMR-CHAMP) की आधारशिला रखते हैं। यह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत ICMR का उच्च-तुंगता चिकित्सा को समर्पित पहला केंद्र है। इसके कार्य में उच्च-तुंगता शरीर-क्रिया विज्ञान और अनुकूलन, पर्वतीय चिकित्सा, जलवायु-संवेदनशील रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और आपदा चिकित्सा शामिल हैं, जिसमें सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएँ और राज्य सरकार भागीदार हैं (PIB, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 11 अक्टूबर)।
GSLV-F17 ने EOS-05 को कक्षा में स्थापित किया	ISRO के GSLV-F17 ने 4 सितंबर 2026 को पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण किया और उसे उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। ISRO यह भी बताता है कि एक राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति PSLV के एक प्रक्षेपण में आई विसंगति के कारण की समीक्षा कर रही है (ISRO फ़्लैश न्यूज़, isro.gov.in)। GSLV का ऊपरी चरण स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण है जो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन जलाता है; PSLV में ठोस और द्रव चरण होते हैं।
क्वांटम-सुरक्षित भारत — फ़्री-स्पेस QKD और 'अभी चुराओ, बाद में डिक्रिप्ट करो'	QNu Labs, BISAG-N और IIT गांधीनगर ने 27–28 सितंबर की रात भारत का पहला फ़्री-स्पेस क्वांटम की वितरण (Quantum Key Distribution, QKD) लिंक, 5.56 किमी की दूरी पर, प्रदर्शित किया, जिसे BISAG-N के पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफ़ी मंच "वैदिक कवच" से जोड़ा गया (PIB, MeitY, 3 अक्टूबर)। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत लक्ष्य 2,000 किमी की क्वांटम-सुरक्षित संचार व्यवस्था का है (PIB, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)। CERT-In, CSIRT-Fin और SISA की डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार "Harvest Now, Decrypt Later" (अभी चुराओ, बाद में डिक्रिप्ट करो) हमले पहले से सक्रिय हैं: आज चुराया गया डेटा इसलिए जमा किया जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर जब पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएँ, तब उसे डिक्रिप्ट किया जा सके (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 15)। QKD कुंजियों की रक्षा भौतिकी से करता है; पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफ़ी ऐसे नए गणित का उपयोग करती है जिसे क्वांटम कंप्यूटर आसानी से नहीं तोड़ सकते।
ज़िंक–एयर बैटरियों के लिए	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के दो संस्थानों, कोलकाता के एस.एन. बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
धातु-मुक्त उत्प्रेरक	और मोहाली के नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ने SRM विश्वविद्यालय अमरावती के साथ मिलकर ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया के लिए धातु-मुक्त सरंध्र उत्प्रेरक विकसित किया है। यह ज़िंक–एयर बैटरियों और ईंधन सेलों में दुर्लभ और महँगे प्लेटिनम की जगह ले सकता है (PIB, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 7 अक्टूबर)। ज़िंक–एयर बैटरियों में लिथियम-आयन की तुलना में सैद्धांतिक रूप से अधिक ऊर्जा घनत्व और कम लागत की संभावना है, पर उन्हें अनेक चक्रों तक दोबारा चार्ज करना कठिन है।
ब्रिक्स पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल प्रदर्शन खेल	2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल प्रदर्शन खेल 12 अक्टूबर को अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतिस्पर्धा-रहित प्रदर्शन के रूप में आयोजित हो रहे हैं। उदाहरणों में गोरोदकी (बेलारूस), ज़राबाताना यानी ब्लोपाइप, कोरिंदा दे तोरास यानी लट्ठा दौड़ और कैपोएरा (ब्राज़ील), तथा वुशु और हेल्थ चीगोंग (चीन) शामिल हैं (PIB, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, 10 अक्टूबर)।
क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स अधिनियम — एक अप्रयुक्त मूल्य-खंड	नैदानिक स्थापन (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010) के अंतर्गत बने नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियम, 2012 का नियम 9(ii) नैदानिक स्थापनों से अपेक्षा करता है कि वे "केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और जारी दरों की सीमा" में शुल्क लें। केंद्र ने वे दरें अधिसूचित नहीं की हैं, अधिनियम हर राज्य में लागू नहीं है, और चिकित्सकों के संगठनों ने इस प्रावधान को चुनौती दी है। एक संसदीय समिति ने जटिल उपचार से पहले विधिक रूप से बाध्यकारी अग्रिम लागत अनुमान की सिफ़ारिश की है (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 16)। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, इसलिए यह अधिनियम अनुच्छेद 252 के अंतर्गत पारित हुआ और उन राज्यों में लागू होता है जो इसे अपनाते हैं, तथा संघ राज्यक्षेत्रों में।
चिनाब और अंजी खड्ड — कश्मीर रेल लाइन के दो पुल	कश्मीर की रेल लाइन में चिनाब पुल, जो विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे मेहराबदार पुल है, और अंजी खड्ड पुल, जो भारत का पहला केबल-आधारित रेलवे पुल है और अंजी नदी से 331 मीटर ऊपर है, शामिल हैं (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 8)। दोनों उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक (USBRL) पर स्थित हैं, जिस पर जम्मू और श्रीनगर के बीच वंदे भारत सेवा शुरू हुई।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू (मुंबई), द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली) और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली) — 12 अक्टूबर 2026 से ली गई है; जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

10. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अख़बार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

10.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.1 (15 अंक, 250 शब्द)

> ***"क्षमता-आधारित वृद्धि से आगे मूल्य-सृजन की ओर।" परीक्षण कीजिए कि भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति का मसौदा क्षमता-विस्तार और कार्बन-मुक्ति में किस प्रकार सामंजस्य बैठाना चाहता है। (15 अंक, 250 शब्द)***

भूमिका — 10 अक्टूबर को जारी राष्ट्रीय इस्पात नीति का मसौदा 2047 तक क्षमता लगभग 220 से 604 मिलियन टन करना चाहता है, और उत्सर्जन तीव्रता 2.54 से घटाकर लगभग 1.54 टन CO2 प्रति टन कच्चा इस्पात, "भारत के नेट ज़ीरो" लक्ष्य के अनुरूप।

1. **विस्तार वास्तविक आवश्यकता है** — प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 116 किग्रा है; लक्ष्य 302 किग्रा। रेल, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा को सस्ता घरेलू इस्पात चाहिए।

2. **स्वच्छ मार्ग सुझाए गए हैं** — अधिक कबाड़, हाइड्रोजन-आधारित प्रत्यक्ष अपचयित लौह (DRI), बायोचार, गैसीकृत कोयला, कार्बन अधिग्रहण। कबाड़ और हाइड्रोजन-DRI में कोकिंग कोयला कम लगता है, इससे अनुमानित 236 मिलियन टन (अधिकांश आयातित) माँग का बोझ घटता है।

3. **कम तीव्रता, फिर भी अधिक कुल उत्सर्जन** — 220 मि.ट. × 2.54 ≈ 559 मि.ट. CO2; 604 मि.ट. × 1.54 ≈ 930 मि.ट., आज के क्षमता-उपयोग पर लगभग दो-तिहाई अधिक। जनवरी 2026 से प्रभावी यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर हर कार्बन-सघन निर्यातित टन का मूल्य लगाता है।

4. **कमी टन की नहीं, मूल्य की है** — ऑटोमोटिव और विद्युत श्रेणी का इस्पात अब भी कठिन है, जो लक्ष्य 2017 की नीति में भी था। छोटी द्वितीयक इकाइयाँ हरित मानदंडों का खर्च नहीं उठा पातीं।

निष्कर्ष — मसौदा दिशा में विकास और जलवायु का तालमेल बैठाता है, कुल मात्रा में अभी नहीं। आगे की राह: 2024 के हरित इस्पात वर्गीकरण (प्रति टन तैयार इस्पात 2.2 tCO2e से कम पर "हरित") के अंतर्गत स्टार-रेटिंग इस्पात की सरकारी ख़रीद, नियोजित कबाड़ संग्रह, MSME के लिए चरणबद्ध दक्षता वित्त, तथा तीव्रता के साथ निरपेक्ष उत्सर्जन-मार्ग। तब हर जुड़ा टन स्वच्छ होगा।

यह बनाइए: *तीसरे बिंदु के पास दो स्तंभ: 220 मि.ट. × 2.54 ≈ 559 और 604 मि.ट. × 1.54 ≈ 930 मि.ट. CO2।*

(246 शब्द)

10.2 GS1 कोना — भूगोल: तरुण हिमालय के आर-पार रेलवे: उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला लाइन

आज का संदर्भ: *IE p8*

1. **लाइन युवा और अस्थिर पर्वतों से गुज़रती है** — जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच तरुण हिमालयी वलित पर्वत-श्रेणियाँ हैं, जो घाटी के दक्षिण में पीर पंजाल पर समाप्त होती हैं। PIB की एक विज्ञप्ति इस भूभाग को "भूवैज्ञानिक आश्चर्यों से भरा" बताती है, इसलिए मार्ग का बड़ा भाग सुरंगों और पुलों से होकर जाता है।

2. **इंजीनियरिंग के जानने योग्य आँकड़े** — PIB के अनुसार 272 किमी लंबी USBRL में 36 सुरंगें (119 किमी) और 943 पुल हैं। रियासी ज़िले का चिनाब पुल 1,315 मीटर लंबा है और नदी तल से 359 मीटर ऊँचा खड़ा है; यह विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे मेहराबदार पुल है। अंजी खड्ड पुल भारतीय रेलवे का पहला केबल-स्टेड पुल है, जिसका डेक नदी तल से 331 मीटर ऊपर है।

3. **पुराना सपना, हाल ही में पूरा हुआ** — इंडियन एक्सप्रेस इस विचार का मूल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह तक ले जाता है। 6 जून 2025 को कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई (PIB)।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- रियासी ज़िले का चिनाब पुल विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे मेहराबदार पुल है, जो नदी तल से 359 मीटर ऊपर है (PIB)।
- अंजी खड्ड पुल भारतीय रेलवे का पहला केबल-स्टेड पुल है।
- पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से अलग करती है।

10.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
फ़रक्का (Farakka)	पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में, गंगा पर, उस स्थान से ठीक ऊपर की ओर जहाँ वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है।	गंगा जल संधि, जो फ़रक्का बैराज पर शुष्क मौसम के प्रवाह को बाँटती है, दिसंबर में नवीनीकरण के लिए देय है (4.1)।	एक फ़ीडर नहर कोलकाता बंदरगाह के लिए पानी भागीरथी-हुगली में मोड़ती है; बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है।

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
कान्हा बाघ अभयारण्य (Kanha Tiger Reserve)	मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट ज़िलों में, सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी छोर पर मैकल पहाड़ियों में।	काज़ीरंगा से लाए गए आठ जंगली भैंसे 11 अक्टूबर को वहाँ एक बाड़े में छोड़े गए (5.1)।	कान्हा कठोर भूमि के बारहसिंगा को बचाने के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है।
रीवा (Rewa)	उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश में, विंध्य पठार पर, उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा।	रोझौही के पास ग्रामीणों ने प्रस्तावित निजी 2x220 मेगावाट परमाणु संयंत्र के लिए खुदाई रोक दी (6.2)।	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क (750 मेगावाट) दिल्ली मेट्रो को बिजली देता है।
मिज़ोरम (Mizoram)	दक्षिणी पूर्वोत्तर में: पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश; उत्तर में त्रिपुरा, असम और मणिपुर।	जनगणना 2027 में वह म्यांमार, मणिपुर और बांग्लादेश से आए 38,213 पंजीकृत शरणार्थियों को अलग सूची में दर्ज करेगा (7.1)।	कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना मिज़ोरम को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से जोड़ती है।

10.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): सत्यनिष्ठा का साहस (Courage of conviction — स्पष्ट और निर्भीक परामर्श)

अर्थ — लोक सेवक का कर्तव्य है कि अप्रिय होने पर भी ईमानदार राय दे; निर्णय प्राधिकारी लेता है, पर परामर्श इस बात के अनुसार नहीं झुकना चाहिए कि वह क्या सुनना चाहता है।

आज के समाचार में — प्रकरण 2: एक अभियोजक पर "गवाहों को ठीक से तैयार करने" का दबाव; नंदितेश निलय (IE p10) याद करते हैं कि पटेल ने अपने विधि सचिव से पूछा था कि क्या सरकार उन्हें बेईमान राय देने के लिए वेतन देती है।

उत्तर में उपयोग — वरिष्ठों के दबाव वाले केस स्टडी में: लिखित, तर्कसंगत असहमति को उचित ठहराएँ और विधिसम्मत विकल्प सुझाएँ।

10.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

जब कोई नई तकनीक आती है, तो ध्यान सबसे पहले उसे गढ़ने वालों की ओर जाता है। फिर भी आर्थिक वृद्धि का इतिहास बताता है कि अधिकांश लाभ बाद में और कहीं और से आते हैं: साधारण कंपनियों, खेतों और दफ़्तरों में तकनीक के धीमे प्रसार से।

बिजली इसका जाना-पहचाना उदाहरण है। बिजलीघर दशकों तक मौजूद रहे, फिर भी कारख़ानों ने उनका ठीक से उपयोग करना देर से सीखा। मालिकों ने पहले केवल भाप के इंजनों की जगह बिजली की मोटरें लगा दीं और लाभ बहुत कम हुआ। उत्पादकता तब बढ़ी जब कारख़ानों को हर मशीन पर छोटी मोटर के आधार पर नए सिरे से बनाया गया और कामगारों को नए ढंग से काम करने का प्रशिक्षण मिला। आविष्कार आवश्यक था, पर फल लंबे समय तक चले अपनाने के काम ने दिया।

जो देश अग्रणी पंक्ति में नहीं है, उसके लिए इसमें एक सबक़ है। लाभ पाने के लिए उसे दुनिया की सबसे उन्नत प्रणाली स्वयं बनानी ज़रूरी नहीं। स्कैन पढ़ने के लिए किसी उपकरण का उपयोग करने वाला छोटा क्लिनिक, या फ़ोन पर मौसम की सलाह पाने वाला किसान, किसी एक शानदार प्रयोगशाला से अधिक राष्ट्रीय कल्याण जोड़ सकता है। महत्त्व इसका है कि उपकरण कितना सस्ता, कितने व्यापक रूप में और कितनी समझदारी से उपयोगकर्ताओं तक पहुँचता है।

पर अपनाना स्वत: नहीं होता। इसके लिए भरोसेमंद बिजली और संपर्क-सुविधा चाहिए, ऐसे कामगार चाहिए जो उपकरण का उपयोग भी कर सकें और उस पर प्रश्न भी उठा सकें, और ऐसे नियम चाहिए जिनसे लोग उस पर भरोसा करें। जहाँ ये नहीं हैं, वहाँ मुफ़्त तकनीक भी अनुपयोगी पड़ी रहती है। जो देश इन नींवों की उपेक्षा करके नई प्रणालियाँ बनाता है, उसके पास प्रभावशाली तकनीक हो सकती है, पर रोज़मर्रा के जीवन में बदलाव कम दिखेगा।

इसलिए अधिक समझदारी यही है कि प्रसार को अपने आप में एक नीतिगत लक्ष्य माना जाए, जिसे इससे मापा जाए कि कितने लोग किसी तकनीक का वास्तव में अच्छा उपयोग करते हैं।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है?

(a) केवल तकनीकी अग्रणी देशों को ही नई तकनीकों से लाभ मिलता है।
(b) किसी तकनीक का सबसे बड़ा लाभ उसके व्यापक और प्रभावी अपनाए जाने से मिलता है।
(c) तकनीक के उपयोगकर्ताओं की तुलना में आविष्कारकों को अधिक श्रेय मिलना चाहिए।
(d) बिजली कई दशकों तक एक असफल तकनीक थी।

Q2. कारख़ानों में बिजली का उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि

(a) भाप के इंजन बिजली की मोटरों से बेहतर थे।
(b) नई तकनीक तभी फल देती है जब काम को उसके इर्द-गिर्द नए सिरे से संगठित किया जाए।
(c) बिजलीघर बहुत देर से बनाए गए।
(d) कामगारों ने बिजली का विरोध किया।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सी लेखक की मान्यता है?

(a) मुफ़्त तकनीक का हमेशा व्यापक उपयोग होगा।
(b) सार्वजनिक नीति इस पर असर डाल सकती है कि कोई तकनीक कितने व्यापक रूप से अपनाई जाए।
(c) उन्नत प्रयोगशालाएँ ग़रीब देशों के लिए व्यर्थ हैं।
(d) किसान मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. कोई क्षेत्र 2.54 टन CO2 प्रति टन की दर से 220 मिलियन टन इस्पात बनाता है। यदि उत्पादन 604 मिलियन टन हो जाए और तीव्रता घटकर 1.54 रह जाए, तो कुल उत्सर्जन लगभग कितना बढ़ेगा?

(a) 39%
(b) 52%
(c) 66%
(d) 175%

Q5. पाँच मित्र A, B, C, D और E उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C बीच में है। A, C के ठीक बाईं ओर है। E दाएँ छोर पर है। B, A के बगल में नहीं बैठा है। बाएँ छोर पर कौन बैठा है?

(a) A
(b) B
(c) D
(d) E

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) गद्यांश के अनुसार अधिकांश लाभ साधारण उपयोग में फैलाव से आता है; विकल्प 3 भ्रमित करता है, पर गद्यांश लाभ के स्रोतों का क्रम बताता है, श्रेय का नहीं।

Q2: (b) उत्पादकता नए ढाँचे और प्रशिक्षण के बाद ही बढ़ी; केवल इंजन बदलने से लाभ कम हुआ, हानि नहीं, इसलिए विकल्प 1 ग़लत है।

Q3: (b) प्रसार को नीतिगत लक्ष्य बनाने की बात इस मान्यता पर टिकी है कि नीति अपनाने को आकार दे सकती है; विकल्प 1 "मुफ़्त तकनीक भी अनुपयोगी पड़ी रहती है" से टकराता है।

Q4: (c) अभी: 220 × 2.54 = 558.8 मि.ट.। बाद में: 604 × 1.54 = 930.16 मि.ट.। 930.16 ÷ 558.8 ≈ 1.66, अतः वृद्धि लगभग 66%।

Q5: (c) बाएँ से सीट 1–5: C = 3, A = 2, E = 5। B और D के लिए सीट 1 और 4 बचती हैं। सीट 1, A के बगल में है, इसलिए B = 4 और D = 1।

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 · निबंध · खंड क · 7 मिनट पठन (min read)

दक्षता उतना ही बचाती है, जितना संयम सुरक्षित रखता है।

विषय (Themes): दक्षता हर इकाई की लागत घटाती है, और सस्ती चीज़ का उपयोग प्रायः बढ़ जाता है, इसलिए कुल खपत बढ़ भी सकती है · दक्षता जो बचाती है, वह वहीं टिकता है जहाँ कोई सीमा, कोई मूल्य या संयम की आदत उसकी रखवाली करती है · दक्षता और संयम प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार हैं : पहला इंजन है, दूसरा ब्रेक और स्टीयरिंग

भारत ने अभी हाल में इस्पात नीति का मसौदा जारी किया है, जिसमें दो आँकड़े साथ-साथ असहज लगते हैं। 2047 तक देश हर टन इस्पात को कहीं अधिक स्वच्छ बनाना चाहता है, यानी उत्सर्जन 2.54 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन से घटाकर लगभग 1.54 टन करना चाहता है। साथ ही वह क्षमता को लगभग 220 मिलियन टन से बढ़ाकर 604 मिलियन टन करना चाहता है। हर टन स्वच्छ होगा; फिर भी सीधे गणित से यह क्षेत्र आज की तुलना में लगभग दो-तिहाई अधिक उत्सर्जन कर सकता है। इसमें किसी ने कुछ ग़लत नहीं किया। ये आँकड़े बस एक पुरानी सच्चाई दिखाते हैं, जिसे हम हर नई मशीन के आने पर भूल जाते हैं : किसी काम को अधिक दक्षता से करना उसे कम करना नहीं है। यह निबंध तर्क देता है कि दक्षता मानवता के सबसे बड़े उपहारों में से एक है, पर उसकी बचत वहीं टिकती है जहाँ संयम उसकी रखवाली करे, चाहे वह किसी सीमा के रूप में हो, किसी मूल्य के रूप में, या मन की किसी आदत के रूप में।

यह पहेली पहली बार 1865 में स्पष्ट रूप से कही गई थी। अंग्रेज़ अर्थशास्त्री विलियम स्टैनली जेवन्स को चिंता थी कि ब्रिटेन का सस्ता कोयला समाप्त हो जाएगा। लोग उनसे कहते थे कि बेहतर भाप इंजन, जो उतने ही काम के लिए कम कोयला जलाते हैं, इस समस्या को सुलझा देंगे। जेवन्स ने अपनी पुस्तक द कोल क्वेश्चन में उत्तर दिया : "यह सोचना सरासर विचारों का भ्रम है कि ईंधन के किफ़ायती उपयोग का अर्थ खपत में कमी है। सच्चाई ठीक इसके उलट है।" उनका तर्क सीधा था। जब इंजन को कम कोयला चाहिए, तो उससे होने वाला काम सस्ता हो जाता है; काम सस्ता हो, तो लोग उसके कहीं अधिक उपयोग खोज लेते हैं; और इस तरह देश कुल मिलाकर अधिक कोयला जलाता है। अर्थशास्त्री आज इसे प्रतिक्षेप प्रभाव (रिबाउंड इफ़ेक्ट) कहते हैं, और उसके चरम रूप को जेवन्स विरोधाभास।

यह ढर्रा एक बार समझ में आ जाए, तो हर जगह दिखता है। ट्रैफ़िक जाम मिटाने के लिए सड़कें चौड़ी की गईं, और कई शहरों में कुछ ही वर्षों में नई लेनें नई गाड़ियों से भर गईं। भारत में मोबाइल डेटा सस्ता हुआ, तो भारतीयों ने फ़ोन पर कम समय नहीं बिताया; उन्होंने कहीं अधिक समय बिताया। पानी इसका सबसे तीखा उदाहरण है। 2008 में दो शोधकर्ताओं, फ्रैंक वार्ड और मैनुअल पुलिडो-वेलाज़क्वेज़ ने अमेरिका के ऊपरी रियो ग्रांडे बेसिन का अध्ययन किया और पाया कि अधिक दक्ष सिंचाई के लिए दी जाने वाली सब्सिडी से पानी का उपयोग घटने की संभावना कम थी। किसानों ने बचे पानी से अधिक भूमि सींची या अधिक प्यासी फ़सलें उगाईं, और नदियों तथा जलभृतों में कम पानी रिसकर लौटा। उनके शोधपत्र का शीर्षक किसी पहेली जैसा लगता है: "सिंचाई में जल संरक्षण से जल का उपयोग बढ़ सकता है।"

भारत के अपने खेत इसी कहानी को दूसरी ओर से सुनाते हैं। पंजाब और हरियाणा में धान को सुनिश्चित ख़रीद मिलती है और पंपों के लिए बिजली मुफ़्त या लगभग मुफ़्त है। जब पानी खींचने की लागत लगभग शून्य हो जाए, तो किसान के पास उसे बचाने का कोई कारण नहीं रहता, और हरियाणा में भूजल स्तर अब हर साल लगभग 1.7 फ़ुट गिर रहा है। सस्तापन चाहे किसी बेहतर मशीन ने रचा हो या किसी सब्सिडी ने, उसका असर एक-सा होता है : वह हर व्यक्ति के लिए अधिक उपयोग को तर्कसंगत बना देता है, भले ही वह सबके लिए मिलकर विनाशकारी हो। व्यक्ति मूर्ख नहीं है; व्यवस्था ने उसे रुकने की कोई वजह दी ही नहीं।

भारतीय चिंतन ने इसे जेवन्स से बहुत पहले समझ लिया था। ईशोपनिषद् का पहला ही मंत्र कहता है कि यह समूचा जगत ईश्वर से व्याप्त है, और फिर इसमें जीने का नियम देता है : "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृधः कस्यस्विद् धनम्" — त्यागपूर्वक भोग करो, और किसी के धन का लोभ मत करो। यह मंत्र संसार छोड़ने को नहीं कहता। वह संयम के साथ उसका भोग करने को कहता है। दक्षता का यही छूटा हुआ आधा हिस्सा है। बेहतर औज़ार हमारे लिए लेने की क्षमता बढ़ाता है; हम कितना लेंगे, यह केवल संयम तय करता है। गांधी का न्यासिता का विचार और मरम्मत करने, दोबारा काम में लाने और बाँटने की रोज़मर्रा की भारतीय आदत एक ही सहज बोध से उपजीं : प्रचुरता उन्हीं हाथों में सुरक्षित है जो जानते हैं कि कब रुकना है।

इसके विरुद्ध एक सशक्त तर्क भी है, और उसे निष्पक्षता से सुना जाना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए दक्षता विलासिता नहीं, जीवनरेखा है। एक भारतीय साल भर में लगभग 116 किलोग्राम इस्पात का उपयोग करता है, जो धनी देशों की खपत का एक छोटा अंश है; प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है; और नेट-ज़ीरो का लक्ष्य वर्ष 2070 है। किसी ग़रीब देश से माँग पर संयम रखने को कहना उससे ग़रीब

बने रहने को कहना है। दक्षता ही वह चीज़ है जिससे गाँव को छोटे सौर पैनल से रोशनी, किसान को हर बूँद से अधिक फ़सल और कारख़ाने को हर टन कोयले से अधिक उत्पादन मिलता है। दक्षता के बिना संयम का अर्थ केवल अभाव सहना है। फिर प्रतिक्षेप प्रायः पूरा नहीं होता: बहुत-से मामलों में लोगों के अधिक उपयोग करने के बाद भी दक्षता कुछ न कुछ बचा लेती है।

यह सब सही है, और यह तर्क को बदल देता है, पर परास्त नहीं करता। प्रतिवाद यह सिद्ध करता है कि दक्षता आवश्यक है; यह सिद्ध नहीं करता कि दक्षता पर्याप्त है। इस्पात, सड़कों और सिंचाई में वृद्धि भारत के लिए उचित है, पर पृथ्वी की एक निरपेक्ष सीमा है, और जलभृत का एक तल होता है। प्रति टन, प्रति हेक्टेयर या प्रति किलोमीटर का आँकड़ा बताता है कि हम कितना अच्छा काम करते हैं; हम सीमा के भीतर हैं या नहीं, यह केवल कुल मात्रा बताती है। दुनिया ने यह एक बार सफलता से कर दिखाया है। 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कारख़ानों से ओज़ोन नष्ट करने वाले रसायनों का अधिक दक्ष उपयोग करने को नहीं कहा; उसने उन्हें चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का लक्ष्य रखा, और ओज़ोन परत अब भरने लगी है। सबक़ यह नहीं कि हर अच्छी चीज़ पर रोक लगा दी जाए, बल्कि यह कि कुल मात्रा के रूप में कहा गया लक्ष्य एक ऐसी ईमानदारी रखता है जो केवल अनुपात के रूप में कहे गए लक्ष्य में नहीं होती।

इससे एक व्यावहारिक कार्यक्रम निकलता है, जिसमें दक्षता और संयम साथ काम करते हैं। पहला, हर तीव्रता-लक्ष्य के साथ कुल मात्रा का लक्ष्य जोड़ा जाए: जो इस्पात नीति प्रति टन उत्सर्जन गिनती है, उसे यह भी बताना चाहिए कि वह क्षेत्र का कुल उत्सर्जन कितना मानती है, ताकि प्रगति वृद्धि की आड़ में छिप न सके। दूसरा, मूल्य को सच बोलने दिया जाए। जिस पानी और बिजली की कोई क़ीमत नहीं, उसका दुरुपयोग हमेशा होगा; धान छोड़ने वाले किसान को, उसी सब्सिडी में से जो धान पर ख़र्च होती, भुगतान देना उससे संयम उस भाषा में माँगना है जिसे वह वहन कर सकता है। तीसरा, समुदायों को केवल बेहतर पंप नहीं, एक बजट दिया जाए: जब गाँव जानता है कि उसके खेतों के नीचे कितना पानी है और वह कितना खींच रहा है, तो संयम उपदेश नहीं, साझा निर्णय बन जाता है। चौथा, केवल उत्पादन को नहीं, बचत को भी पुरस्कृत किया जाए — इस्पात संयंत्र में पुनर्चक्रित कबाड़ से लेकर स्क्रीन से दूर रखे गए एक घंटे के ध्यान तक।

दक्षता प्रगति का इंजन है, और भारत को उसकी कम नहीं, अधिक आवश्यकता है। पर ब्रेक और स्टीयरिंग के बिना इंजन हमें उसी दिशा में और तेज़ ले जाता है जिधर हम पहले से जा रहे थे। भाप इंजन, चौड़ी सड़क, ड्रिप पाइप और स्वच्छ भट्ठी, हर एक ने मानवता को एक बचत दी, और हर बार वह बचत ख़र्च हो गई, जब तक किसी ने उसे बचाए रखने का निर्णय नहीं लिया। वही निर्णय संयम का काम है: क़ानून से तय की गई सीमा, सच बोलने वाला मूल्य, और मन का वह पुराना अनुशासन जो त्याग के साथ भोगना जानता है। दक्षता बचा सकती है; बचत को टिकाऊ केवल संयम बना सकता है।

आज के काड्र्स से निर्मित (Built from today's cards):

आज का आईना — पत्रिका बंद करने से पहले दो मिनट

दर्पण का अर्थ है आईना। आज की पत्रिका बंद करने से पहले उसे अपने सामने रखिए। उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए — तीन पंक्तियाँ काफ़ी हैं।

1. अगर आज की सबसे बड़ी ख़बर — "केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा : डेटा संरक्षण बोर्ड को आठ सप्ताह में कार्यशील करें" — में आप ज़िलाधिकारी होते, तो आपका पहला क़दम क्या होता, और आप सबसे पहले किससे मिलते ?

2. आज किस ख़बर को आपने पहली बार दूसरे पक्ष से देखा ? जिस तर्क से आप असहमत थे, उसका सबसे मज़बूत रूप लिखिए।

3. सादगी समय की भी होती है। आज आपने समय कहाँ बचाया, और कहाँ गँवाया ?

क्षमता, गुमनामी, सादगी — हर दिन एक छोटा क़दम। And we shall become, my man.